


उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

(उ०प्र० अधि० संख्या 8, वर्ष 2012)

[उ.प्र. राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित]



उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012]

[उ० प्र० राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015
(उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4 सन् 2015) द्वारा यथा संशोधित]

विषय-सूची

धारा	विषय	पृष्ठ
	अध्याय-एक प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
2.	संहिता का लागू होना	1
3.	संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार	1
4.	परिभाषाएं	2
	अध्याय-दो राजस्व मण्डल	
5.	राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन	5
6.	राजस्व क्षेत्रों का गठन	5
	अध्याय-तीन परिषद् और राजस्व अधिकारी	
7.	राजस्व परिषद्	6
8.	परिषद् की अधिकारिता	6
9.	कार्य का वितरण करने की शक्ति	6
10.	परिषद् के विनिश्चय	6
11.	आयुक्त और अपर आयुक्त	7
12.	कलेक्टर और अपर कलेक्टर	7
13.	उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी	8
14.	तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक	8
15.	नायब तहसीलदार	9
16.	राजस्व निरीक्षक और लेखपाल	9
17.	पदों का समुच्चय	9
18.	धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली	9
19.	राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियाँ	9
	अध्याय-चार सीमा और सीमा चिन्ह	
20.	सीमा का निर्धारण और सीमांकन	10
21.	सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व	10

धारा	विषय	पृष्ठ
22.	सीमा चिह्न को नष्ट आदि किया जाना	10
23.	सीमा चिह्न का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति	10
24.	सीमा सम्बन्धी विवाद	10
25.	मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार	11
26.	अवरोध का हटाया जाना	11
27.	उप जिलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति	11
28.	आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया जाना	11
अध्याय-पांच		
ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण		
29.	ग्रामों की सूची	12
30.	मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण	12
31.	अधिकार अभिलेख	12
32.	अभिलेखों को ठीक करना	13
33.	उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण	13
34.	अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य	13
35.	अन्तरण के मामलों में नामान्तरण	14
36.	अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना	14
37.	कतिपय वादों का विवर्जन	14
38.	गलती और लोप का सुधार	14
39.	राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते	15
40.	प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा	15
41.	किसान बही	15
42.	सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य	16
अध्याय-छः		
ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण		
43.	अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना	17
44.	अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी	17
45.	अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति	17
46.	अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण	17
47.	सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण	17
48.	सीमा चिह्नों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति	17
49.	मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया	18
50.	अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना	19
51.	नया अधिकार अभिलेख तैयार करना	19
52.	ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहां कोई अभिलेख उपलब्ध न हों	19
53.	प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा	19

धारा	विषय	पृष्ठ
अध्याय-सात		
भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व		
54.	समस्त भूमि आदि में राज्य का हक	20
55.	खान और खनिज	20
56.	वृक्षों पर अधिकार	20
57.	फलदार वृक्ष	21
58.	विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा	21
अध्याय-आठ		
ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्धन		
59.	ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना	22
60.	भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण	23
61.	ग्राम तालाबों का प्रबन्धन	24
62.	वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन	24
63.	ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिए आवंटित किया जा सकता है	25
64.	आबादी स्थलों का आवंटन	25
65.	आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना	26
66.	आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच	27
67.	ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति	27
67-क.	कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त	28
68.	गांव निधि	29
69.	समेकित गांव निधि	29
70.	राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश	30
71.	वैकल्पिक व्यवस्था	30
72.	स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता	30
73.	ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व	31
अध्याय-नौ		
खाता		
74.	खातेदारी का वर्ग	32
75.	संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर	32
76.	असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर	32
77.	कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे	33
78.	असामी	35
79.	अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार	35
80.	औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग	36
81.	घोषणा का परिणाम	36
82.	घोषणा का रद्द किया जाना	37
83.	घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना	37

धारा	विषय	पृष्ठ
84.	असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार	37
85.	इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम	38
86.	असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना	38
87.	सुधार जिसे न हटाया जाए	38
अन्तरण		
88.	भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता	38
89.	भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध	38
90.	भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना	39
91.	बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध	39
92.	असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना	39
93.	धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अन्तरण विक्रय माना जाएगा	39
94.	पट्टे पर प्रतिबन्ध	40
95.	किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना	40
96.	निःशक्त सह-अंशधारकों द्वारा पट्टा करना	41
97.	पट्टा कैसे किया जाएगा	41
98.	अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध	41
99.	अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध	42
100.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना	42
101.	विनिमय	42
102.	विनिमय के परिणाम	43
103.	इस संहिता के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव	43
104.	इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा	43
105.	संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम	43
106.	इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किए गए अन्तरण का परिणाम	44
न्यागमन		
107.	भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत	44
108.	पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम	44
109.	स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार	45
110.	स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू-धारक का उत्तराधिकार	46
111.	धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति व्यावृत्तियां	46
112.	उत्तरजीविता द्वारा सह-खातेदारों के हित का संक्रमण	46
113.	भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे	47
114.	न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्तें	47
115.	राजगामी सम्पत्ति	48
विभाजन		
116.	जोत के विभाजन के लिए वाद	48
117.	जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य	49

धारा	विषय	पृष्ठ
समर्पण और परित्याग		
118.	भूमिधर द्वारा समर्पण	49
119.	असामी द्वारा समर्पण	49
120.	समर्पण का प्रभाव	49
121.	समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व	50
122.	भूमिधर द्वारा परित्याग	50
123.	परित्याग का परिणाम	50
124.	ग्राम पंचायत को कब्जा देना	50
ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा		
125.	ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश	51
126.	भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम	51
127.	आवंटन का परिणाम	53
128.	आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना	53
129.	आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली	54
बेदखली		
130.	भूमिधरों को बेदखल न किया जाना	54
131.	असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद	54
132.	फसलों और पेड़ों पर अधिकार	55
133.	व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद	55
134.	बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली	56
135.	[निकाल दी गई]	56
136.	ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली	56
137.	गलत बेदखली के लिए उपचार	57
लगान		
138.	असामी द्वारा देय लगान	57
139.	लगान निर्धारण के लिए वाद	57
140.	बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिए छूट	57
141.	लगान की गणना	58
142.	ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली	58
143.	बकाया लगान को बट्टे खाते में डालने की शक्ति	58
घोषणात्मक वाद		
144.	खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद	58
145.	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद	59
146.	व्यादेश का उपबंध	59
अध्याय-दस		
सरकारी पट्टेदार		
147.	सरकारी पट्टेदार की परिभाषा	60
148.	सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक	60

धारा	विषय	पृष्ठ
149.	सरकारी पट्टेदार की बेदखली	60
150.	30 प्र० अधिनियम संख्या 22 सन् 1972 के उपबन्ध लागू होंगे	60
151.	सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार	60
152.	भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य देय	61
अध्याय-ग्यारह		
भू-राजस्व का निर्धारण		
153.	भूमिधर द्वारा धृत भूमि पर भू-राजस्व के भुगतान का दायित्व	62
154.	भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व	62
155.	भू-राजस्व में परिवर्तन	62
156.	कतिपय मामलों में भू-राजस्व की छूट	63
157.	कृषि विपत्ति होने पर भू-राजस्व में माफी या स्थगन	63
158.	कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति	63
159.	लगान स्थगित करने के परिणाम	63
160.	राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जाँच	63
161.	भू-राजस्व की धनराशि का पूर्णकृत किया जाना	63
162.	आदेशों का अंतिम होना	63
अध्याय-बारह		
भू-राजस्व का संग्रह		
163.	भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा	64
164.	भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे	64
165.	भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना	64
166.	भू-राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध	64
167.	व्यतिक्रमी	64
168.	प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा	64
169.	मांग-पत्र	64
170.	बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया	64
171.	गिरफ्तारी और निरोध	65
172.	जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री	66
173.	व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की	67
174.	जोत की कुर्की	67
175.	जोत का पट्टा	67
176.	जोत की बिक्री	68
177.	अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री	68
178.	रिसीवर की नियुक्ति	68
179.	वसूली की प्रक्रिया	70
180.	लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली	70
181.	विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही	70

धारा	विषय	पृष्ठ
215.	प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे	80
216.	नोटिस को तामील कराना	80
217.	राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी	80
अध्याय-चौदह		
प्रकीर्ण		
218.	संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति	81
219.	प्रत्यायोजन	81
220.	भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति	81
221.	निरीक्षण करने और प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने का अधिकार	81
222.	कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना	81
223.	जुर्माना आदि की वसूली की रीति	82
224.	विवरण मंगाने की शक्ति	82
225.	सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण	82
225-क	संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण	82
225-ख	कैवियट दाखिल करना	82
225-ग	समिति का गठन	83
225-घ	सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियाँ	83
225-ङ	सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ	83
225-च	मामलों का समेकन	83
अध्याय-पन्द्रह		
शास्तियाँ		
226.	अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति	84
227.	सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी	84
228.	अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिए शास्ति	84
229.	अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति	85
अध्याय-सोलह		
निरसन और अपवाद		
230.	निरसन	86
231.	विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना	86
232.	कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति	87
233.	नियम बनाने की शक्ति	87
234.	विनियमावली बनाने की शक्ति	89
●	प्रथम अनुसूची	90
●	द्वितीय अनुसूची	92
●	तृतीय अनुसूची	93
●	चतुर्थ अनुसूची	95

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006

(उ0प्र0 अधिनियम सं0 8, सन् 2012)

(उ0प्र0 अध्यादेश सं0 4 सन् 2015 के द्वारा यथासंशोधित)

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

- 1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 कहा जाएगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए या इस संहिता के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।
- 2 **संहिता का लागू होना**— इस संहिता के उपबन्ध, अध्याय आठ और नौ को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होंगे और अध्याय आठ और नौ ऐसे क्षेत्रों में लागू होंगे जिन पर प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 19 और 25 पर विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम इस संहिता द्वारा उनके निरसन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को लागू था।
- 3 **संहिता का नए क्षेत्रों में विस्तार**— (1) जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाए, वहाँ राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र में इस संहिता का सम्पूर्ण या कोई उपबन्ध विस्तारित कर सकती है।
(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाए, वहाँ उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त किसी अधिनियम, नियम या विनियम के उपबन्ध जो इस प्रकार लागू किए गये उपबन्धों से असंगत हो, निरसित हुए समझे जायेंगे।
(3) राज्य सरकार किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में संशोधन, उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है।
- 4 **परिभाषाएँ**— इस संहिता में :—
(1) “आबादी” या “ग्रामीण आबादी” का तात्पर्य किसी ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों यथा, सहन व हरे वृक्षों, कुआँ आदि के लिए किया जा रहा हो या जिसे एतदपश्चात ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित किया गया हो या किया जाए ;
(2) “कृषि” के अन्तर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट

पालन भी है ;

- (3) "कृषि श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है ;
- (4) "बैंक" का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिये दिया गया है ;
- (5) "भूमि प्रबन्धक समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 28-क के अधीन गठित किसी भूमि प्रबन्धक समिति से है ;
- (6) "परिषद" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है ;
- (7) "पूर्त संस्था" का तात्पर्य किसी पूर्त प्रयोजन के लिये गठित किसी अधिष्ठान, उपक्रम, संगठन या संघ से है और उसके अन्तर्गत कोई विनिर्दिष्ट विन्यास भी है ;
- (8) "कलेक्टर" का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे,—

(क) उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर कलेक्टर ; और

(ख) इस संहिता के अधीन कलेक्टर के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, सशक्त प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर ;

- (9) "संचित गांव निधि" का तात्पर्य धारा 69 के अधीन गठित संचित गांव निधि से है ;
- (10) किसी भू-खातेदार के सम्बन्ध में "परिवार" का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरुष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति से भिन्न) अवयस्क पुत्रों, और विवाहित पुत्रियों से भिन्न अवयस्क पुत्रियों से है :

परन्तु जहाँ प्रश्न किसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित हो और अन्तरिती अवयस्क हो वहाँ पद "परिवार" के अन्तर्गत ऐसे अवयस्क के माता-पिता होंगे;

(11) "बाग-भूमि" का तात्पर्य किसी जोत में भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग से है जिसमें इस प्रकार वृक्ष लगे हों (जिसमें पपीता या केला के पौधे सम्मिलित नहीं हैं) कि वे किसी भूमि को या उसके किसी समुचित भाग को किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाए जाने से रोकते हों, या पूर्ण रूप से विकसित होने पर रोकेंगे और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष एक बाग का रूप धारण करेंगे ;

(12) "जोत" का तात्पर्य एक भू-खातेदारी, एक पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के अधीन रखे गये भूमि के किसी खण्ड से है ;

(13) किसी जोत के सम्बन्ध में "सुधार" का तात्पर्य ऐसे किसी संकर्म से है जिससे जोत के मूल्य में भौतिक रूप से अभिवृद्धि होती हो और जो उसके लिए उपयुक्त हो और उस प्रयोजन के सुसंगत हो जिस हेतु उसे रखा गया हो और जो यदि जोत पर निष्पादित न किया जाए, उसके लाभ के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से

सम्पादित किया जाता हो या सम्पादन के पश्चात उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभप्रद बनाया जाता हो और पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन उसके अन्तर्गत निम्नलिखित संकर्म भी हैं—

(एक) कृषि प्रयोजनों के लिये जल के भण्डारण, आपूर्ति या वितरण के लिए तालाबों, कुओं, जल-प्रणालियों, तटबन्धों का निर्माण और अन्य कार्य ;

(दो) भूमि के जल-निकास हेतु या बाढ़ से या जल से भूमि के कटाव या अन्य क्षति से भूमि की रक्षा हेतु निर्माण कार्य ;

(तीन) वृक्षारोपण करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, घेराबन्दी करना, समतल अथवा सीढ़ीदार बनाना ;

(चार) आबादी या नगरीय क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जोत के आस-पास जोत के सुविधाजनक या लाभप्रद उपयोग या अध्यासन के लिए आवश्यक भवनों का निर्माण ; और

(पाँच) पूर्वोक्त संकर्मों में से किसी संकर्म का नवीकरण या पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्तन या उसका परिवर्धन ;

(14) "भूमि" का तात्पर्य, अध्याय सात और आठ और धारा 80, 81 और धारा 136 के सिवाय, ऐसी भूमि से है जो कृषि से सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये धृत या अध्यासित हो ;

(15) "भूमि धारक" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसे लगान देय हो या देय होती यदि कोई स्पष्ट या विवक्षित संविदा न होती ;

(16) "राजस्व न्यायालय" का तात्पर्य, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से सभी या किसी प्राधिकारी, (नामस्वरूप) परिषद और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, असिस्टेंट कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक) और नायब तहसीलदार से है ;

(17) "राजस्व अधिकारी" का तात्पर्य आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, मुख्य राजस्व अधिकारी, उप ज़िलाधिकारी, सहायक कलेक्टर, बन्दोबस्त अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक से है ;

(18) "उप ज़िलाधिकारी" का तात्पर्य, तहसील के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर से है ;

(19) "टोंगिया रोपवनी" का तात्पर्य, ऐसी वनरोपण प्रणाली से है जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल के उगाने के साथ-साथ किया जाता है जिसमें फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है ;

(20) "गांव" का तात्पर्य, किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है, जो चाहे घना हो या नहीं, तत्सम्बन्धी ज़िले के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो और उसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष अधिसूचना द्वारा गांव के रूप में घोषित करे ;

- (21) "गांव शिल्पी" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि या उसके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाए जाने वाले परम्परागत औजारों—उपकरणों और अन्य सामानों या वस्तुओं का निर्माण या मरम्मत है और उसके अन्तर्गत बढई, बुनकर, कुम्हार, लोहार, रजतकार, सुनार, नाई, धोबी, मोची या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है जो सामान्यतः किसी गांव में अपने परिश्रम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के परिश्रम से शिल्पकारी करके अपनी जीविका का अर्जन करता है ;
- (22) शब्द और पद "गांव निधि", "ग्राम सभा" और "ग्राम पंचायत" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में उनके लिए दिए गये हैं;
- (23) 'कृषि वर्ष' का तात्पर्य ऐसे वर्ष से है जो कैलेण्डर वर्ष में जुलाई के प्रथम दिन से आरम्भ होकर जून के तीसवें दिन पर समाप्त होता है। इसे 'फसली वर्ष' भी कहा जाता है;
- (24) 'मध्यवर्ती' का तात्पर्य, जब उसका सम्बन्ध किसी आस्थान से हो, उक्त आस्थान या उसके किसी भाग के स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी और दवामी काश्तकार से है;
- (25) 'पट्टा' के अन्तर्गत, जब उसका सम्बन्ध खानों या खनिज पदार्थों से हो, शिकमी पट्टा, अन्वेषण पट्टा और पट्टा देने या शिकमी उठाने के अनुबन्ध भी हैं और 'पट्टेदार' की भी व्याख्या तदनुसार ही की जाएगी;
- (26) 'डिक्री' का वही अर्थ होगा, जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) की धारा 2 में इसके लिए समनुदेशित है;
- (27) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
- (28) 'केन्द्रीय सरकार' का अर्थ होगा, जो साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 3 में इसके लिए समनुदेशित है;
- (29) 'मिनजुमला संख्या' का तात्पर्य सैद्धान्तिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाली 'शजरा संख्या' से है।

अध्याय—दो

राजस्व मण्डल

5 राज्य का राजस्व क्षेत्रों में विभाजन—इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, राज्य को राजस्व क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो मंडलों में विभक्त होगा जिसमें दो या अधिक ज़िले हो सकेंगे और प्रत्येक ज़िला में दो या अधिक तहसीलें हो सकेंगी और प्रत्येक तहसील में एक या अधिक परगनें हो सकेंगे और प्रत्येक परगना में दो या इससे अधिक गांव हो सकेंगे।

6 राजस्व क्षेत्रों का गठन—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट कर सकती है :

(एक) उन ज़िलों को जिनसे मिलकर कोई मण्डल बनता हो;

(दो) उन तहसीलों को जिनसे मिलकर कोई ज़िला बनता हो;

(तीन) उन गांवों को जिनसे मिलकर कोई तहसील बनती हो।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को समामेलित, पुनःसमायोजित, विभाजित करके या किसी अन्य रीति से, वह चाहे जो भी हो, परिवर्तित कर सकती है या किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र को समाप्त कर सकती है और किसी ऐसे राजस्व क्षेत्र का नामकरण कर सकती है और उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है और यदि जहाँ किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण कर दिया जाए, तो वहाँ उक्त क्षेत्र के किसी विधि या लिखत या अन्य दस्तावेज में उसके मौलिक नाम से किए गए निर्देशों को, जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न किया जाए, पुनः नामकरण किए गए क्षेत्र का निर्देश समझा जाएगा :

परन्तु किसी राजस्व क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व राज्य सरकार आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए ऐसे प्रस्तावों को विहित रूप से प्रकाशित करेगी और ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों पर विचार करेगी।

(3) कलेक्टर विहित रूप में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा तहसील के गांवों को लेखपाल हलकों में और लेखपाल हलकों को राजस्व निरीक्षक हलकों में व्यवस्थित करेगा और प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के मुख्यालय को भी उसके हल्के के भीतर विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय यथा विद्यमान मण्डल, ज़िले, तहसील, परगने, राजस्व निरीक्षक हलके, लेखपाल हलके और गांव, जब तक कि पूर्ववर्ती उपखण्डों में उनमें कोई परिवर्तन न कर दिया जाए, इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र समझे जायेंगे।

अध्याय—तीन

7

परिषद और राजस्व अधिकारी

राजस्व परिषद—(1) उत्तर प्रदेश के लिये एक राजस्व परिषद होगा जिसमें एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाए :

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित और कार्य कर रही परिषद को इस धारा के अधीन गठित परिषद समझा जाएगा।

(2) (निरसित)

(3) कोई भी व्यक्ति—

(क) परिषद के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने आयुक्त के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो ;

(ख) परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने कलेक्टर के पद से अन्यून श्रेणी का पद धारण न किया हो।

(4) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात किसी समय किसी भी सदस्य को परिषद के न्यायिक सदस्य के रूप में पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे सदस्य को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा।

8

परिषद की अधिकारिता—(1) परिषद निम्नलिखित मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगा :—

(क) वादों, अपीलों या पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बन्धित सभी मामलों में; और

(ख) राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, इस संहिता में दिये गये सभी अन्य मामलों में।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निष्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

(3) राज्य सरकार परिषद के किसी सदस्य को या तो सामान्यतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र या विषय के सम्बन्ध में परिषद को प्रदत्त या उस पर अधिरोपित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग, कृत्य का निर्वहन और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

9

कार्य का वितरण करने की शक्ति— (1) ऐसे नियमों या आदेशों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जाए या जारी किया जाए, परिषद अपने सदस्यों के बीच अपने कार्य का वितरण, जैसा परिषद उचित समझे, कर सकती है। अध्यक्ष किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग के निस्तारण के लिए एक से अधिक सदस्यों वाली पीठ या पीठों का गठन कर सकता है।

(2) ऐसे वितरण के अनुसार राजस्व परिषद के किसी सदस्य द्वारा दिये गये सभी आदेश या डिक्री यथास्थिति, राजस्व परिषद के, आदेश या डिक्री समझे जायेंगे।

- 10 परिषद के विनिश्चय**—(1) जहाँ अपील करने पर या पुनरीक्षण के तौर पर परिषद के विचाराधीन आने वाली किसी कार्यवाही की सुनवाई दो या उससे अधिक सदस्यों से बनी पीठ द्वारा की जानी हो वहाँ मामले का विनिश्चय ऐसे सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।
- (2) जहाँ पीठ का गठन करने वाले परिषद के सदस्य किसी मामले के विनिश्चय के संबंध में अपनी राय में बराबर-बराबर **विभाजित हों**, वहाँ उसकी सुनवाई अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली एक वृहत्तर पीठ द्वारा की जायेगी और मामले का विनिश्चय ऐसी पीठ का गठन करने वाले सदस्यों की राय या ऐसे सदस्यों के बहुमत, यदि कोई हो, से किया जायेगा।
- (3) एकल रूप से आसीन किसी सदस्य द्वारा या दो सदस्यों वाली किसी **खण्ड पीठ** द्वारा या पूर्वोक्त रूप से गठित किसी वृहत्तर पीठ द्वारा दिए गए सभी विनिश्चय, परिषद के विनिश्चय समझे जाएंगे।
- 11 आयुक्त और अपर आयुक्त**—(1) राज्य सरकार प्रत्येक मण्डल में एक आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो, अपने मण्डल के भीतर, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित **कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपने मण्डल में सभी राजस्व अधिकारियों पर प्राधिकार का प्रयोग करेगा।**
- (2) राज्य सरकार एक या उससे अधिक मण्डलों में एक या उससे अधिक अपर आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है।
- (3) कोई अपर आयुक्त ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा निदेशित किया जाए।
- (4) आयुक्त पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर आयुक्त पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह मण्डलायुक्त हो।
- (5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर आयुक्त को, अपर आयुक्त (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर आयुक्त (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर आयुक्त (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में आयुक्त की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, मण्डलायुक्त द्वारा, निदेशित किया जाये।
- 12 कलेक्टर और अपर कलेक्टर**—(1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करेगी जो उसके राजस्व प्रशासन का प्रभारी होगा और वह इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी कलेक्टर को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (2) राज्य सरकार किसी ज़िले में एक या उससे अधिक अपर कलेक्टर की नियुक्ति कर सकती है।
- (3) अपर कलेक्टर, राज्य सरकार या कलेक्टर के निदेश और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कलेक्टर की

सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(4) कलेक्टर पर तत्समय लागू इस संहिता के उपबन्ध और प्रत्येक अन्य विधि इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के समय अपर कलेक्टर पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह ज़िले का कलेक्टर हो।

(5) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे अपर कलेक्टर (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा अपर कलेक्टर (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।

13 उप-ज़िलाधिकारी और अपर उप-ज़िलाधिकारी- (1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे, सहायक कलेक्टर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) राज्य सरकार किसी ज़िले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी तहसील का प्रभारी सहायक कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी कहा जाएगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियन्त्रण में रहते हुए इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(4) राज्य सरकार किसी ज़िले के लिए नियुक्त सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को ज़िले के एक या अधिक तहसीलों के लिए अपर उप ज़िलाधिकारी पदाभिहित कर सकती है।

(5) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपर उप ज़िलाधिकारी ऐसे मामले या मामलों के ऐसे वर्ग में किसी उप ज़िलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा राज्य सरकार, या राज्य सरकार के किसी निदेश के न होने पर, कलेक्टर निदेश दे।

(6) राज्य सरकार नियुक्ति करते समय या उसके पश्चात् किसी समय, किसी भी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को एक या एक से अधिक तहसीलों के लिए उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) के रूप में, पदाभिहित कर सकती है और किसी ऐसे उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) को केवल न्यायिक कार्य आवंटित किया जायेगा। ऐसा उप ज़िलाधिकारी (न्यायिक) ऐसे मामले या मामलों की श्रेणियों में उप ज़िलाधिकारी की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार के किसी निदेश के अभाव में, कलेक्टर द्वारा, निदेशित किया जाये।

14 तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक-(1) राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक नियुक्त कर सकती है।

(2) तहसीलदार और तहसीलदार (न्यायिक) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा राज्य सरकार या परिषद, और राज्य सरकार या परिषद का कोई निदेश न होने पर, कलेक्टर निदेश

दे।

15 नायब तहसीलदार— राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में उतने व्यक्तियों को, जितना वह उचित समझे, नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, जो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर आरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

16 राजस्व निरीक्षक और लेखपाल—(1) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर **विनिर्दिष्ट करे**, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है।

(2) कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर **विनिर्दिष्ट करे**, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हो।

17 पदों का समुच्चय— राज्य सरकार या, यथास्थिति, नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए किसी एक ही ऐसे व्यक्ति को जो विधि के अनुसार अन्यथा सक्षम हो, इस अध्याय में उपबन्धित दो या अधिक पदों पर नियुक्त करना या एक अभिधान के अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों की सभी या किसी शक्ति या कर्तव्य को कतिपय स्थानीय सीमाओं के भीतर या अन्यथा जो समीचीन समझे प्रदत्त करना विधिपूर्ण होगा।

18 धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली—(1) कलेक्टर ऐसे मामलों में जिसमें किसी राजस्व अधिकारी पर या किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले उनके ज़िले में उस रूप में सेवायोजित रहा हो, उसके प्रभार में रखे गए, लोक धन या कागज-पत्र या अन्य सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा बकाया हो, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे निरुद्ध धन या विशिष्ट कागज-पत्र या सम्पत्ति तुरन्त उक्त आदेश के वाहक को या ऐसे व्यक्ति को ऐसे दिनांक और ऐसे स्थान पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, आदेश द्वारा देने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकारी या अन्य व्यक्ति निदेश के अनुसार पालन नहीं करता है, तो कलेक्टर ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक कि निदेश का पालन नहीं कर दिया जाता है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, यह कि यथास्थिति, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति का अधिरोपण तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन या धन, कागज-पत्र या अन्य सरकारी सम्पत्ति की वसूली, से विवर्जित नहीं करेगा।

19 राजस्व अधिकारियों की अन्य शक्तियाँ— (1) जब इस संहिता के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कोई शक्ति या कोई कर्तव्य पालनीय हो तो किसी वरिष्ठतर अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी ऐसी प्रयोक्तव्य शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का पालन किया जा सकता है।

(2) इस संहिता के अधीन नियुक्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के नियंत्रण में ऐसी शक्तियों का प्रयोग

और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

अध्याय—चार

सीमा और सीमा चिन्ह

- 20 सीमा का निर्धारण और सीमांकन—**(1) राज्य में समस्त ग्रामों की और किसी ग्राम में समस्त सर्वे गाटा संख्याओं की सीमाएं सीमा चिन्हों द्वारा नियत और सीमांकित की जायेंगी।
- (2) सीमा चिन्ह इस अध्याय में आगे दिए गए उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विनिर्देश के अनुसार होंगे और उसका निर्माण और अनुरक्षण ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।
- 21 सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत करने का दायित्व—**(1) प्रत्येक खातेदार अपनी जोत में या उसकी सीमा पर विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और उसकी मरम्मत अपने खर्च पर करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता में स्थित ग्रामों में उपधारा (1) में उल्लिखित सीमा चिन्हों से भिन्न अन्य विधिपूर्वक निर्मित सीमा चिन्हों का, अपने खर्च पर अनुरक्षण और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगी।
- 22 सीमा चिन्ह को नष्ट आदि किया जाना—**(1) यदि लेखपाल के हलके में विधिपूर्वक निर्मित किसी सीमा चिन्ह को नष्ट किया जाए, हटाया जाए या उसे क्षति पहुँचाई जाए तो संबंधित लेखपाल मामले की रिपोर्ट नायब तहसीलदार को तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।
- (2) नायब तहसीलदार ऐसी रिपोर्ट के संबंध में जाँच करेगा और अपनी संस्तुति उप ज़िलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- 23 सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत या नवीकरण करने की अपेक्षा करने की शक्ति—**(1) उप ज़िलाधिकारी धारा 22 के अधीन नायब तहसीलदार की संस्तुति प्राप्त करके या अन्यथा ग्राम पंचायत में किसी ग्राम के संबंध में और किसी खातेदार से उसकी जोत के संबंध में, समुचित सीमा चिन्हों का ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, निर्माण या पुनः स्थापन करने या उनकी मरम्मत या उन्हें प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (2) जहाँ ग्राम पंचायत या कोई खातेदार उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफल रहे, वहाँ उप ज़िलाधिकारी ऐसे सीमा चिन्हों का यथास्थिति निर्माण पुनःस्थापन, मरम्मत या प्रतिस्थापन करा सकता है और ऐसी ग्राम पंचायत या खातेदार से उसका खर्च वसूल कर सकता है।
- 24 सीमा सम्बन्धी विवाद—**(1) उप ज़िलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शों के आधार पर या जहाँ उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहाँ उन नक्शों के आधार पर, किन्तु यदि ऐसा सम्भव न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जाँच द्वारा कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जाँच के दौरान उप **ज़िलाधिकारी** अपना यह समाधान न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्ण अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो **उपज़िलाधिकारी**—

(क) प्रथम स्थिति में, संक्षिप्त जाँच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि सम्पत्ति का सर्वाधिक हकदार व्यक्ति कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा ;

(ख) द्वितीय स्थिति में, इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप **ज़िलाधिकारी** द्वारा आवेदन के दिनांक से, यथासम्भव **तीन माह** के भीतर समाप्त कर ली जाएगी।

(4) उप **ज़िलाधिकारी** के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

25 मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार— ऐसे मार्ग के संबंध में (सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि से भिन्न) जिसमें कोई खातेदार या कृषि श्रमिक अपनी भूमि पर या गांव की बंजर या चारागाह भूमि पर पहुँच सके, या ऐसे स्रोत या ऐसे जल मार्ग के संबंध में जहाँ से या जिससे वह सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में, तहसीलदार, ऐसी स्थानीय जाँच के पश्चात जो आवश्यक समझी जाए, विद्यमान प्रथा के निर्देश में और समस्त सम्बद्ध पक्षों की सुविधा का सम्यक् ध्यान रखते हुए, मामले का विनिश्चय कर सकता है। वह ऐसे **अवरोधों को हटाने** के लिये निदेश दे सकता है और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकता है जैसा आवश्यक हो और संबंधित व्यक्ति से विहित रूप में **ऐसे अवरोधों को हटाने की लागत** की वसूली कर सकता है।

26 अवरोध का हटाया जाना— यदि तहसीलदार को यह पता चले कि किसी अवरोध से गांव की किसी सार्वजनिक सड़क, पथ या सार्वजनिक भूमि के अबाध उपयोग में रुकावट पड़ती है तो ऐसी सड़क या जल मार्ग या जल के रोध को हटाने का निदेश दे सकता है और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो, और सम्बद्ध व्यक्ति से उक्त अवरोध को हटाने का खर्च विहित रीति से वसूल कर सकता है।

27 उप ज़िलाधिकारी की पुनरीक्षण सम्बन्धी शक्ति—उप ज़िलाधिकारी धारा 25 या धारा 26 के अधीन तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए किसी मामले के अभिलेख को ऐसे विनिश्चय की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से माँग सकता है और सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित **समझे**:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं किया जायेगा।

28 आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित न किया

जाना— इस अध्याय के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी व्यक्ति को सुखाचार के ऐसे अधिकार या रुढ़िगत अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा जिसका दावा वह सिविल वाद द्वारा कर सकता है।

अध्याय—पाँच

ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण

29 ग्रामों की सूची—(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में एक रजिस्टर तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा जिसमें उसके ज़िले के समस्त ग्रामों की सूची होगी और उसमें निम्नलिखित दिखाया जाएगा :—

- (क) ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हों ;
- (ख) ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चित खेती होती हों ; और
- (ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किए जायं।

(2) रजिस्टर का, प्रत्येक पाँच वर्ष में या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जिसे विहित किया जाए, पुनरीक्षण किया जाएगा।

30 मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण— (1) कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाए, गांव की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय—समय पर पाई जाय भी ठीक करायेगा।

(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

31 अधिकार अभिलेख—(1) कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख (खतौनी) रखेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) समस्त खातेदारों के नाम और उनके द्वारा धृत सर्वेक्षण संख्या या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल ;
- (ख) ऐसे व्यक्तियों के उनके हिस्सों सहित हितों का प्रकार या विस्तार और उससे सम्बद्ध दायित्व या शर्तें, यदि कोई हों ;
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसको देय राजस्व या लगान, यदि कोई हो ;
- (घ) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण से सम्बन्धित या उसमें निहित (जोत से भिन्न) समस्त भूमि का विवरण ;
- (ङ) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जायं।

(2) सहखातेदारों के अंश विहित रीति से निर्धारित किये जायेंगे।

32 अभिलेखों को ठीक करना—(1) कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, उप ज़िलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य समस्त संबन्धितों को जिनका किन्हीं

अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गयी थीं;

परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा।

33 उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण—(1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के, जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक—

(क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा ;

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमन के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

34 अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य—(1) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्तरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'अन्तरण' के अन्तर्गत कोई पारिवारिक बन्दोबस्त भी है।

(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।

35 अन्तरण के मामलों में नामान्तरण—(1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो, और—

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार संशोधित करने

का निदेश देगा;

(ख) 'निरसित'

(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप ज़िलाधिकारी को अपील कर सकता है।

36 अन्तरण की सूचना और भू-राजस्व जमा करना—(1) धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जहां भूमि पर किसी हक या भार को बनाने, समनुदेशित करने या निर्वापित करने के लिए या जिसके सम्बन्ध में अधिकार अभिलेख (खतौनी) बनाने के लिए तात्पर्यित कोई दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उस तहसीलदार को, जिसकी अधिकारिता में वह भूमि स्थित है, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी समय सीमा में, जैसी विहित की जाए, सूचना भेजेगा।

(2) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 32 के अधीन अभिलेखों के सुधार के लिए कोई आदेश और धारा 33 के अधीन उत्तराधिकार अभिलिखित करने के लिए कोई आदेश और धारा 35 के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) में कोई संशोधन और धारा 38 के अधीन कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस भूमि, जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, के सम्बन्ध में अद्यतन देय भू-राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाये।

37 कतिपय वादों का विवर्जन— उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो।

38 गलती और लोप का सुधार—(1) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन सम्बन्धी मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ उप ज़िलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

(3) कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख (खतौनी) की कोई फर्जी या छलसाधित प्रविष्टि को इस धारा के

अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है।

(6) इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुये भी, राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच, जो विहित की जाय, करने के बाद ठीक कर सकेगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप का सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाय कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति सम्मिलित है।

39 राजस्व अधिकारियों के कतिपय आदेश वाद करने से विवर्जित नहीं करते— धारा 33 के अधीन राजस्व निरीक्षक या धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार द्वारा या धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन उप ज़िलाधिकारी द्वारा, या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश किसी व्यक्ति को धारा 144 के अधीन वाद के माध्यम से भूमि पर अपना अधिकार स्थापित करने से विवर्जित नहीं करेगा।

40 प्रविष्टियों के सम्बन्ध में उपधारणा— इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अधिकार अभिलेख (खतौनी) में सभी प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेंगी जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

41 किसान बही—(1) हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख (खतौनी) तैयार की जाय, कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा जिसमें ऐसा विवरण होगा जो विहित किया जाय।

(2) किसान बही ज़िले में किसी खातेदार द्वारा धृत समस्त जोत के संबंध में समेकित जोत—बही होगी।

(3) संयुक्त जोत की स्थिति में, इस धारा के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि किसान बही केवल ऐसे एक या अधिक अभिलिखित सह—खातेदारों को दी जाय जो इसके लिये आवेदन करें।

(4) खातेदार किसान बही के लिए ऐसा मूल्य ऐसी रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, जैसी विहित की जाय।

(5) किसान बही रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय—समय पर अधिकार अभिलेख में किये गये संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।

(6) जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को खातेदार के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है कि वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है तो वह इस प्रकार दिये गये ऋण के ब्योरे को किसान बही में पृष्ठांकित करेगा।

(7) खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ—पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य ऋण (जो पूर्णतः या अंशतः असंदत्त है) नहीं प्राप्त किया है और न ही उसने जोत या उसमें किसी अंश को किसी व्यक्ति को किसी अन्य रीति चाहे जो भी हो से, अन्तरित किया है।

(8) कोई खातेदार जो किसी ऐसे शपथ—पत्र में कोई ऐसा कथन करता है जो असत्य है और वह उसकी

जानकारी या विश्वास के अनुसार असत्य है या उसके सत्य होने के विषय में उसका विश्वास नहीं है, तो वह किसी प्रकार के कारावास से, ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा।

(9) ऐसा बैंक या अन्य वित्तीय संस्था ऋण के अन्तिम पुनर्भुगतान को किसान बही पर पृष्ठांकित करेगी।

42 सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने का कर्तव्य— प्रत्येक व्यक्ति, जिसके अधिकार, हित या बाध्यता का इस अध्याय के अधीन रखे गये किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित हो या उनकी प्रविष्टि कर ली गई हो, ऐसे अभिलेख या रजिस्टर के संकलन या पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए किसी राजस्व अधिकारी के अधियाचन पर, उसके निरीक्षण के लिए, सही संकलन या पुनरीक्षण के लिए आवश्यक ऐसी समस्त सूचना या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी, कब्जे या शक्ति में हो, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, देने या प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

अध्याय—छः

ग्राम अभिलेखों का पुनरीक्षण

43

अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना—(1) जब कभी राज्य सरकार की राय हो कि किसी ज़िले या अन्य स्थानीय क्षेत्र में अभिलेखों का पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण या दोनों आवश्यक हैं तो वह इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करेगी और तदुपरांत ऐसा ज़िला या क्षेत्र, यथास्थिति, **अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया** या दोनों के अधीन समझा जाएगा।

(2) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, आदेश दे सकती है कि आबादी या ग्राम आबादी की सर्वेक्षण क्रिया या अभिलेख क्रिया या दोनों विहित रीति से की जायेगी।

(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना को संशोधित या रद्द कर सकती है या उस क्रिया को समाप्त घोषित कर सकती है।

44

अभिलेख अधिकारी और सहायक अभिलेख अधिकारी—(1) राज्य सरकार एक अभिलेख अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया या दोनों का प्रभारी होगा और उतने सहायक अभिलेख अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जितने वह उचित समझे।

(2) सहायक अभिलेख अधिकारी, जब तक धारा 43, की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना प्रवृत्त रहे, इस संहिता द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो अभिलेख अधिकारी द्वारा सौंपे जायं।

45

अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख अधिकारी की शक्ति— जहाँ कोई ज़िला या अन्य स्थानीय क्षेत्र अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, वहाँ धारा 23 से 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

46

अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण— जब कोई ज़िला या स्थानीय क्षेत्र अभिलेख क्रिया के अधीन हो तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम की क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख का पुनरीक्षण करायेगा।

47

सर्वेक्षण क्रिया के दौरान अभिलेख का पुनरीक्षण— जब कोई ज़िला या अन्य स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो, तब अभिलेख अधिकारी उसमें सम्मिलित प्रत्येक ग्राम का एक मानचित्र तैयार करायेगा और तत्पश्चात् यथास्थिति क्षेत्र पंजी (खसरा) और अधिकार अभिलेख (खतौनी) या आबादी अथवा ग्राम आबादी का अभिलेख, के पुनरीक्षण की कार्यवाही करेगा।

48

सीमा चिन्हों के निर्माण के सम्बन्ध में अभिलेख अधिकारी की शक्ति— जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो अभिलेख अधिकारी सभी ग्राम पंचायत और भूमिधरों को निदेश देते हुए यह उद्घोषणा जारी करेगा कि वे गांवों और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने के लिए पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी सीमा चिन्हों का निर्माण करें जैसा वह आवश्यक समझें और व्यतिक्रम होने पर, वह ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण करवा सकता है और कलेक्टर संबंधित ग्राम पंचायतों या भूमिधरों से उनके निर्माण के लागत की वसूली करेगा।

49 मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया— (1) धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिये अभिलेख अधिकारी उपधारा (2) से (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में सुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख (खतौनी) का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात् नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेख में लेखन सम्बन्धी भूलों और **गलतियों** को, यदि कोई हो, शुद्ध करेगा और संबद्ध खातेदारों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी करायेगा जिसमें चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से, जो विहित किया जाए, सुसंगत उद्धरण दिए जायेंगे, जिसमें भूमि के सम्बन्ध में उनके अधिकार और दायित्व और उपधारा (1) में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान उनमें पायी गयी **भूलों और विवादों का उल्लेख** किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके सम्बन्ध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अनुसार विवाद के तय किये जाने के पूर्व किसी समय नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(5) **नायब तहसीलदार —**

(क) जहां उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायं, वहाँ सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई करने के पश्चात्; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे;

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश देगा।

(6) ऐसे समस्त मामलों का अभिलेख, जिनका निस्तारण, नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा जो उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, और जहाँ विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्गस्त हो वहाँ वह उसका विनिश्चय सरसरी तौर पर जाँच करने के पश्चात् करेगा।

(7) जहाँ उपधारा (6) के अधीन सरसरी तौर पर जाँच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहाँ ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) उपधारा (6) या उपधारा (7) के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये किसी **आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति** ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को **अपील कर सकता है**, और अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश, धारा—210 के उपबन्धों के

अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

- 50 अधिकार अभिलेख को अन्तिम रूप देना**— धारा 49 के अनुसार मानचित्र या अभिलेख का पुनरीक्षण करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अपने दिनांक युक्त हस्ताक्षर से अधिकार अभिलेख (खतौनी) की पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन करेगा।
- 51 नया अधिकार अभिलेख तैयार करना**— तत्पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी अभिलेख या सर्वेक्षण क्रिया के अधीन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिये धारा 50 में निर्दिष्ट अधिकार अभिलेख (खतौनी) के आधार पर धारा 30 और 31 में विनिर्दिष्ट अभिलेख तैयार करेगा और कलेक्टर द्वारा, पहले से विद्यमान अभिलेख के स्थान पर इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख रखा जायेगा।
- 52 ऐसे ग्रामों के लिए प्रक्रिया जहाँ कोई अभिलेख उपलब्ध न हों**—(1) इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे ग्राम या उसके भाग के सम्बन्ध में, जहाँ धारा 46 या धारा 47 में निर्दिष्ट कोई मानचित्र या अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है, यथावश्यक परिवर्तन सहित अभिलेख क्रिया या सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिये अभिलेख अधिकारी ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जैसी विहित की जाय।
- (2) इस अध्याय के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख क्रिया और सर्वेक्षण क्रिया पर लागू होंगे।
- 53 प्रविष्टियों के संबंध में उपधारणा**— इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेख (खतौनी) में समस्त प्रविष्टियां सत्य उपधारित की जायेंगी, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित न हो जाय।

अध्याय—सात

भूमि और अन्य सम्पत्तियों का स्वामित्व

54

समस्त भूमि आदि में राज्य का हक— समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं, खाइयों, उन पर या उनके बगल में तटबन्धों और बाड़ों, नदीतल, झरनों, नालों, झीलों, तालाबों, और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और प्रवाहमान जल और समस्त भूमि जहाँ कहीं स्थित हो, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में न हो, को, और जहाँ तक किन्हीं व्यक्तियों के किन्हीं अधिकारों को उनके अन्तर्गत या उन पर स्थापित किये जाने का संबंध हो, उसके सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में यथाशक्य उपबन्ध किये जाने के सिवाय, एतद्द्वारा उनमें या उन पर या उनसे सम्बन्धित समस्त अधिकारों सहित राज्य सरकार की सम्पत्ति घोषित की जाती है :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से, किसी ऐसी सम्पत्ति पर इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले, विद्यमान किसी व्यक्ति के अधिकार, प्रभावित नहीं समझे जायेंगे।

55

खान और खनिज— (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी खान को संचालित करने या उसमें काम करने या उनमें से किन्हीं खनिज पदार्थों का उत्खनन करने का अधिकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 द्वारा शासित होगा।

(2) किसी खान या खनिज की कार्यप्रणाली या उसके उत्खनन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए, और इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को क्रियाशील, इस संहिता द्वारा निरसित किए गए किसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा पट्टाधृत या पट्टाधृत समझे गये भवन या भूमि के प्रत्येक पट्टेदार के पास कब्जा, उपर्युक्त पट्टा के निबन्धन और शर्तों के अधीन रहते हुये, ऐसे किराये के संदाय पर, जैसा कि ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त था, बना रहेगा।

56

वृक्षों पर अधिकार—(1) किसी जोत या बाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति का समझा जाएगा जो ऐसा जोत या बाग धारण करता हो।

(2) किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी ओर जोतों को धारण करते हों।

(3) किसी व्यक्ति से सम्बन्धित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल न की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरन्तर सम्बन्धित रहेंगे या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अध्याधीन धृत रहेंगे।

(4) धारा 57 के उपबन्धों के अध्याधीन उपधारा (1) से (3) में निर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न समस्त वृक्षों, झाड़, जंगल, या अन्य प्राकृतिक उत्पाद, जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों, को इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से राज्य सरकार की सम्पत्ति समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा और धारा 59 के प्रयोजनों के लिए पद दखल न की हुई भूमि का तात्पर्य भू-धारकों द्वारा धारित भूमि से भिन्न ग्राम में स्थित भूमि से है।

57 फलदार वृक्ष- (1) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के किसी राजस्व अधिकारी या वन या लोक निर्माण विभाग या सिंचाई विभाग के अधिकारी, जो **यथास्थिति तहसीलदार या सहायक वन संरक्षक या सहायक अभियन्ता की श्रेणी** के नीचे का न हो, की लिखित अनुज्ञा से जब कोई फलदार वृक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या **नहर के किसी ओर** रोपित किया गया हो, तो ऐसा होते हुए भी ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा व्यक्ति और उसके विधिक प्रतिनिधि किसी प्रभार, जो भी हो, के संदाय के बिना ऐसे वृक्षों के फलों के हकदार होंगे।

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक मार्ग या पथ या **नहर के किसी ओर** फलदार वृक्ष रोपित करने के लिये इच्छुक **कोई व्यक्ति, कलेक्टर** या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से ऐसा कर सकता है और उपधारा (1) के उपबन्ध इस प्रकार रोपित किए गए वृक्षों के निमित्त लागू होंगे।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे किन्तु फलदार वृक्ष रोपित करने वाले व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारियों के पास ऐसे समग्र वृक्ष के प्रति या ऐसी भूमि पर जिस पर वह स्थित हो, कोई अधिकार नहीं होगा।

58 विवाद, जिनका विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा- (1) जहां धारा 54 या धारा 56 या धारा 57 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में या ऐसी सम्पत्ति के किसी अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उठता है तो ऐसे विवाद का विनिश्चय कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से **तीस दिन** के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

अध्याय— आठ

59

ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भूमि और अन्य सम्पत्तियों का प्रबन्धन

ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को भूमि आदि का सौंपा जाना— (1) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए **ग्राम पंचायत** या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों।
(2) निम्नलिखित चीजें उपधारा (1) के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी जा सकती हैं, अर्थात् :-

(एक) किसी जोत या बाग में तत्समय समाविष्ट भूमि के सिवाय भूमि, जो खेती योग्य हों या अन्यथा हों;

(दो) **ग्राम पंचायत** की भूमि पर लगा बाग, चरागाह, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, उर्वरक गर्ते, खलिहान, चकरोड, सम्पर्क मार्ग, **सेक्टर मार्ग**, नदी तल भूमि, सड़क, सड़क की खन्ती, मलिन जल क्षेत्र;

(तीन) वन एवं मत्स्य क्षेत्र;

(चार) किसी जोत में या किसी जोत की सीमा पर या किसी बाग या आबादी में स्थित वृक्षों से भिन्न वृक्ष या दखल न की हुई भूमि पर स्थित कोई वृक्ष;

(पांच) हाट, बाजार, मेला, तालाब, सरोवर, जल मार्ग, निजी नौघाट, पगडन्डी और आबादी स्थल;

(छः) **निखात निधि** अधिनियम, 1878 के उपबन्धों के अधीन धारा 55 में विनिर्दिष्ट और राज्य सरकार से सम्बन्धित कोई **सम्पत्ति** ।

(3) ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज, जो—

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो ;

(ख) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो ;

(ग) इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो ;

उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपा हुआ समझा जायेगा।

(4) राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किए जाने वाले अनुवर्ती आदेश द्वारा, —

(क) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है,

संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

(ख) अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के लिये उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी किसी भूमि या **अन्य चीज को किसी अन्य ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को अन्तरित कर** सकती है;

(ग) किसी **ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को **ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाएं वापस ले सकती है**;

(घ) ऐसी शर्तें और निबन्धन अधिरोपित कर सकती है, जिनके अधीन इस धारा के अधीन अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

(5) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई चीज किसी **ग्राम पंचायत** को सौंपी गई हो या सौंपी हुई समझी गयी हो और ग्राम या उसका ऐसा कोई भाग जिसमें ऐसी चीजें स्थित हों, **ग्राम पंचायत** के क्षेत्र के बाहर हो वहां ऐसी **ग्राम पंचायत** या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन इस संहिता या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 द्वारा या उसके अधीन **ग्राम पंचायत** या किसी भूमि प्रबन्धक समिति पर समनुदेशित, अधिरोपित या प्रदत्त कृत्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निष्पादन, निर्वहन और प्रयोग करेगी मानों वह ग्राम या उसका भाग भी उसके क्षेत्र में आता हो।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई चीज, **ग्राम पंचायत** से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी हो या सौंपी हुई समझी गयी हो वहां इस अध्याय के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थानीय प्राधिकरण पर लागू होंगे।

60 भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अधीक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण— (1) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक भूमि प्रबन्धक समिति को **ग्राम पंचायत** के निमित्त और उसकी ओर से धारा 59 के अधीन उस **ग्राम पंचायत** को सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि और अन्य चीजों, जिन पर ऐसी **ग्राम पंचायत** को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कब्जा करने का हक हो, के अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण का कार्य प्रभारित किया जाएगा।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भूमि प्रबन्धक समिति के कृत्यों और कर्तव्यों में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे :-

- (क) भूमि का बन्दोबस्त और प्रबन्धन ;
- (ख) वनों और वृक्षों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास ;
- (ग) आबादी स्थलों और ग्रामीण संचार व्यवस्था का अनुरक्षण और विकास ;
- (घ) हाटों, बाजारों और मेलों का प्रबन्धन;
- (ङ) मत्स्य क्षेत्र और तालाबों का अनुरक्षण और विकास;

(च) कुटीर उद्योगों का विकास;

(छ) कृषि का विकास और उसमें सुधार;

(ज) **ग्राम पंचायत** द्वारा या उसके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन; और

(झ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किये जायं।

61 ग्राम तालाबों का प्रबन्धन— जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी **ग्राम पंचायत** द्वारा उसके प्रबन्ध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जायेगा, अर्थात:—

(क) जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित रखा जाएगा;

(ख) जहां तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक हो वहां भूमि प्रबन्धक समिति उप **ज़िलाधिकारी** के पूर्व अनुमोदन से इसे विहित रीति से किराये पर देगी;

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद “तालाब” में तालाब, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि भी है।

62 वादों और विधिक कार्यवाहियों का संचालन— (1) उपधारा (2) के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जायं, के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य, जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाये, **ग्राम पंचायत** के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्यवाहियों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिये किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं।

(2) किसी ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियों, जिनके लिये कोई **ग्राम पंचायत** एक पक्षकार हो, पर ऐसी **ग्राम पंचायत** की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण का अनुमोदन भूमि प्रबन्धक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और उप **ज़िलाधिकारी** का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है।

63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिये आवंटित किया जा सकता है— (1) उप **ज़िलाधिकारी** स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा 64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिये आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणी की भूमि चिह्नित कर सकता है :—

(क) धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** को सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि ;

(ख) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन **ग्राम पंचायत** के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि।

(2) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में अन्तर्विष्ट किसी

बात के होते हुए भी भूमि प्रबन्धक समिति, उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित श्रेणी की भूमि को भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिये आवंटित कर सकती है :-

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई रिक्त भूमि;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिह्नित कोई भूमि;

(ग) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन आबादी के लिये अर्जित कोई भूमि।

64 आबादी स्थलों का आवंटन- (1) धारा 63 में निर्दिष्ट भूमि का आवंटन करने में निम्नलिखित वरीयता क्रम का अनुपालन किया जायेगा :-

(क) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर ;

(ख) ग्राम सभा में रहने वाला कोई अन्य कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर ;

(ग) ग्राम सभा में रहने वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति :

परन्तु उसी श्रेणी के अन्तर्गत विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये-

(एक) "अन्य पिछड़ा वर्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है ;

(दो) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 'सामान्य श्रेणी के व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन न हो या आवास अपर्याप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन आवंटित प्रत्येक भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धारित किया जाएगा जो कि विहित की जायें:

परन्तु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटी होगी।

65 आवंटी को कब्जा प्रदान किया जाना- (1) जहां धारा 64 के अधीन किसी भवन के निर्माण के लिए धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि का आवंटन किया गया हो और इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी आवंटी से भिन्न किसी व्यक्ति के अधिभोग में ऐसी भूमि हो वहां उप **ज़िलाधिकारी** स्वप्रेरणा से आवंटी को ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और आवंटी के आवेदन करने पर ऐसी भूमि का कब्जा आवंटी को दिलायेगा और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन **बेदखल कराये जाने के पश्चात्** भूमि व उसके किसी भाग को किसी विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना पुनः अधिभोग में लेता है तो वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा जो दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु तीन माह से कम नहीं होगा और ऐसे जुर्माने के साथ भी दण्डित किया जाएगा जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है :

परन्तु न्यायालय दण्ड पारित करते समय **अभियुक्त** को दोषसिद्ध करते हुए यह निदेश दे सकता है कि ऐसे जुर्माने जिसे वसूल किया जाय का सम्पूर्ण या ऐसा भाग आवंटी को उपयोग और अधिभोग के लिये क्षति स्वरूप दिया जाए जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

(3) **जहां उपधारा (2)** के अधीन किसी कार्यवाही में मामले को संज्ञान लिए जाने के पश्चात् न्यायालय का किसी भी स्तर पर **शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा** द्वारा समाधान कर दिया जाता है कि :-

(क) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में **अभियुक्त** का ऐसी भूमि पर अधिभोग है जिससे ऐसी कार्यवाही सम्बन्धित हो, और

(ख) आवंटी ऐसी भूमि पर कब्जे के लिये हकदार हो, तो न्यायालय संक्षिप्ततः मामले के अन्तिम अवधारण को लम्बित रखते हुए ऐसी भूमि को **अभियुक्त** से खाली करा सकता है और आवंटी को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में किसी **अभियुक्त** को दोषी ठहराया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जाएगी।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में **अभियुक्त** को दोषमुक्त किया जाता है या मुक्त किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इस प्रकार दोषमुक्त या मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार है वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन करने पर यह निदेश देगा कि उसे कब्जा प्रदान किया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध पर संक्षिप्ततः विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराधों के त्वरित विचारण के प्रयोजन से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है, जिसमें प्रत्येक न्यायालय में एक ऐसा अधिकारी होगा जो ऐसे **उप ज़िला मजिस्ट्रेट** की श्रेणी से नीचे का न हो जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन ऐसे अपराध के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग

करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा।

66 आबादी स्थलों के अनियमित आवंटन की जांच— (1) कलेक्टर धारा 64 के अधीन किये गये भूमि के किसी आवंटन की विहित रीति से जांच कर सकता है और ऐसे आवंटन द्वारा क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आवंटन की विहित रीति से जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवंटन अनियमित है तो वह आवंटन को रद्द कर सकता है और उस पर आवंटी, तथा आवंटित भूमि पर उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा यदि आवेदन आवंटन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

67 ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की क्षति, उसका दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति—(1) जहां किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी हुई कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है, या जहां कोई ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये हकदार हो और ऐसी भूमि उक्त उपबन्धों के सिवाय अन्यथा रूप से अधिभोग में हो वहां यथास्थिति भूमि प्रबन्धक समिति या अन्य प्राधिकरण या सम्बन्धित लेखपाल विहित रीति से सम्बन्धित सहायक कलेक्टर को सूचित करेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त सूचना से सहायक कलेक्टर का समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उसका दुरुपयोग किया गया है या किसी व्यक्ति का इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर अधिभोग हो वहां वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उससे क्षति, दुरुपयोग या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, की वसूली की जाय और क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस के विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि सहायक कलेक्टर इस निमित्त अनुज्ञा प्रदान करे, कारण बताने में विफल रहता है या दर्शाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है तो सहायक कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाए और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे बल का उपयोग कर या करवा सकता है, जैसा कि आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति सम्पत्ति की क्षति या उसके दुरुपयोग के लिये या गलत अधिभोग के लिये प्रतिकर की धनराशि की वसूली ऐसे व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जाय।

(4) यदि सहायक कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में

- निर्दिष्ट क्षति या दुरुपयोग या गलत अधिभोग करने का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को खारिज कर देगा।
- (5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन **सहायक कलेक्टर** के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर को **अपील कर सकता है**।
- (6) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन **सहायक कलेक्टर** का इस धारा के अधीन प्रत्येक आदेश उपधारा (5) के अधीन अन्तिम **होगा**।
- (7) इस धारा के अधीन की गयी किसी कार्यवाही में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जैसी विहित की जाय।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द 'भूमि' में उस पर स्थित वृक्ष और भवन भी हैं।

67—क कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बन्दोबस्त—(1) यदि धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने इस संहिता की धारा 63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आरक्षित न हो, कोई गृह निर्माण किया हो और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2012 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, धृत किया जायेगा।

(2) जहां पर धारा 64 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 29 नवम्बर, 2000, को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो विहित किये जायें, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2000 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायेगा।

68 गांव निधि—(1) इस संहिता के अधीन किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि गांव निधि में जमा की जाएगी :

परन्तु धारा 67 के अधीन प्राप्त क्षतियों या प्रतिकर की धनराशि को समेकित गांव निधि में जमा किया जाएगा।

(2) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और ऐसी संहिता के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व बनी रहने वाली गांव निधि इस धारा के अधीन गठित की हुई समझी जाएगी।

(3) गांव निधि का संचालन इस रीति से किया जाएगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।

69 समेकित गांव निधि— (1) प्रत्येक ज़िले के लिए एक समेकित गांव निधि की स्थापना की जाएगी जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात्—

(क) धारा 68 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट धनराशि;

(ख) उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर द्वारा प्राप्त समस्त अंशदान ;

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जैसी विहित किया जाए।

(2) किसी ज़िले में प्रत्येक ग्राम पंचायत कलेक्टर को वार्षिक रूप में धारा 67 के अधीन गांव निधि में जमा की गयी कुल धनराशि के ऐसे प्रतिशत में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय विहित रूप में भुगतान करेगा जो पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

(3) समेकित गांव निधि का संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और उसे निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये उपयोजित किया जा सकता है, अर्थात्—

(क) धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं की फीस और उनके भत्तों, यदि कोई हों, का भुगतान;

(ख) इस संहिता के अधीन ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उसके विरुद्ध वादों के संचालन और अभियोजन, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उपगत व्ययों का भुगतान;

(ग) सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान; और

(घ) किसी ऐसी अन्य धनराशि का भुगतान जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी निधि पर समुचित प्रभार के रूप में घोषित करे।

(4) इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन गठित और इसके प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व विद्यमान समेकित गांव निधियों को इस धारा के अधीन गठित किया गया समझा जायगा।

(5) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि प्रत्येक तहसील के लिए एक समेकित गांव निधि भी इस प्रयोजन के लिए और विहित रीति से स्थापित की जायेगी।

70 राज्य सरकार और कलेक्टर के आदेश और निदेश— (1) राज्य सरकार और उसके नियंत्रण के अधीन कलेक्टर, भूमि प्रबन्धक समिति को ऐसे आदेश या निदेश जारी कर सकता है जो इस संहिता के प्रयोजनों के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

(2) भूमि प्रबन्धक समिति और उसके पदाधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे तत्काल उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये आदेशों को कार्यान्वित करें और निदेशों का अनुपालन करें।

71 वैकल्पिक व्यवस्था— यदि किसी समय कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अपने लिए अधिरोपित या समनुदेशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के लिये युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना विफल हो गयी है; या

(ख) परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गयी हैं कि भूमि प्रबन्धक समिति इस संहिता द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित या समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने या कृत्यों का निष्पादन करने के योग्य नहीं है या उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है; या

(ग) यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन या आवश्यक हो;

तो वह यह निदेश दे सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस संहिता के अधीन ऐसे भूमि प्रबन्धक समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और निष्पादन ऐसे किसी अधिकारी जो नायब तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन किया जायेगा जिन्हें कि विनिर्दिष्ट किया जाय:

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत किसी निदेश को जारी करने के पहले भूमि प्रबन्धक समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

72 स्थायी अधिवक्ता और अन्य अधिवक्ता—(1) राज्य सरकार ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, निम्नलिखित की नियुक्ति कर सकती है:—

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसके लखनऊ खण्डपीठ प्रत्येक में एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

(ख) इलाहाबाद और लखनऊ प्रत्येक राजस्व परिषद् के लिए एक या एक से अधिक स्थायी अधिवक्ता (राजस्व);

(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या एक से अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और;

(घ) ज़िला मुख्यालय के लिये एक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) और एक या एक से अधिक अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ।

(2) कलेक्टर ऐसी निबन्धन और शर्तों पर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, प्रत्येक तहसील के लिए दो से अनधिक पैनल अधिवक्ताओं (राजस्व) की नियुक्ति कर सकता है।

(3) धारा 62 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी लिखित प्राधिकार के बिना किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति की ओर से किसी न्यायालय या प्राधिकरण, जिसके लिए वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, में अभिवचन या कार्यवाही कर सकते हैं।

(4) कोई ग्रामसभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति इस धारा के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं रखेगी।

(5) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 सन् 1870) में अनर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी इस धारा के अधीन नियुक्त किसी विधि व्यवसायी द्वारा दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी के ज्ञापन पर कोई न्यायालय फीस संदेय नहीं होगी।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त विधि व्यवसायी किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध ऐसे किसी न्यायालय, जिसमें वह नियुक्त किया गया हो, के समक्ष अभिवचन या कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

(7) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस संहिता या इसके द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा या उनके विरुद्ध दाखिल प्रकरणों की निगरानी और नियुक्त नामिका अधिवक्ताओं के निष्पादन आधारित वार्षिक मूल्यांकन तथा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए किसी

विधि अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी, निदेश जारी कर सकती है।

73 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व— (1) इस संहिता के अधीन किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जायेगा—

- (क) सिविल न्यायालय में या कलेक्टर के समक्ष कार्यवाहियों में, ज़िला सरकारी अधिवक्ता (राजस्व);
- (ख) आयुक्त के समक्ष कार्यवाहियों में मण्डलीय सरकारी अधिवक्ता (राजस्व) और;
- (ग) राजस्व परिषद या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में, यथास्थिति, लखनऊ या इलाहाबाद के अलग-अलग स्थायी अधिवक्ता (राजस्व)।

(2) इस अध्याय में कोई बात राज्य सरकार या कलेक्टर को ऐसे वाद या कार्यवाही के संचालन के लिये जिसमें ग्राम पंचायत पक्षकार हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित की जाय, विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने से प्रवारित नहीं करेगी।

अध्याय— नौ खाता

74 खातेदारी का वर्ग— निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे, अर्थात्:—

- (क) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;
- (ख) असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर;
- (ग) असामी; और
- (घ) सरकारी पट्टेदार।

75 संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर— निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किये गये हों या उन पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

76 असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर— (1) निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जायेगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों, अर्थात्—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था;
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो;
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;
- (घ) प्रत्येक व्यक्ति जिसे उस दिनांक को या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो;
- (घघ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के लागू होने के दिनांक से ठीक पहले, धारा 77 के अन्तर्गत न आने वाली भूमि का कब्जेदार असामी था और 1407 फसली के वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) की श्रेणी—3

में इस रूप में दर्ज था :

परन्तु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार विहित रीति से सीमांकित किया जायेगा;

(ड) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लें।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और पाँच वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा।

(4) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह ग्राम पंचायत या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जाएगा।

77 कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे—(1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा :-

- (क) खलिहान, खाद के गड्ढों, चरागाह, या सामान्यतः कब्रिस्तान या श्मशान के लिये प्रयुक्त भूमि;
- (ख) भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिये किया जाता हो;
- (ग) भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदा-कदा खेती के लिये किया जाता हो;
- (घ) स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भू-भाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (ड) भूमि जिसे राज्य सरकार ने टौंगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो;

- (च) बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी या सौंपी गयी समझी गयी हो;
- (छ) सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी या सौंपी समझी गयी हो;
- (ज) भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोकोपयोगी कार्य के लिये अर्जित या धृत हो;
- (झ) भूमि जिस पर पोखर, तालाब, या झील हो, या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो; और
- (ञ) कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ज) में पद “सार्वजनिक प्रयोजन” में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

- (एक) भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिये पृथग्रक्षित हो;
- (दो) भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो;
- (तीन) भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिये अर्जित और धृत हो;
- (चार) भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 29—ग में निर्दिष्ट हो, या
- (पांच) भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिये आरक्षित हो।

(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किये गये भू-खण्ड या भू-खण्डों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, में सुरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी:

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

(4) इस धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा की उपधारा (2) में पद ‘लोक प्रयोजन’ का तात्पर्य, आवश्यक परिवर्तनों के साथ,

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (यक) के अन्तर्गत परिभाषित 'लोक प्रयोजन' से है।

78 असामी— निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जाएगा, और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे असामी को प्रदत्त या उस पर आरोपित किये गये हों, अर्थात्:—

(क) इस संहिता की धारा 76 की उपधारा (1) के खण्ड (घघ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असामी स्वीकार किया गया हो;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी भूमि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से असामी का अधिकार प्राप्त कर ले।

79 अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार— (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिये उसका उपयोग करने का अधिकार होगा।

(2) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा।

80 औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग—(1) जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर, यथाविहित जांच करने के पश्चात्, या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के अन्दर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जायेगी कि जोत या उसका भाग चाहरदीवारी से घिरा है या मौके पर “परती” है:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए, भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा, जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह-भूमिधरों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के आवेदन में ऐसे विवरण होंगे और उसे ऐसी रीति से दिया जायेगा जैसी विहित की जाय।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन-पत्र जोत के किसी भाग के सम्बन्ध में दिया जाए, वहां उप जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है।

(4) इस धारा के अधीन उप जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जायेगी यदि उसका यह समाधान हो जाय कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिये किया जाना हो जिससे सार्वजनिक न्यूसेन्स होने की सम्भावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो।

(5) राज्य सरकार इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता है:

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो इस धारा के अन्तर्गत घोषणा के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

81 **घोषणा का परिणाम—** जहां धारा 80 के अधीन घोषणा की जाय वहां ऐसे जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धन संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जायेंगे;

(ख) अध्याय ग्यारह में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से ऐसी भूमि भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी;

(ग) भूमिधर, न्यागमन के विषय में उस वैयक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है।

82 घोषणा का रद्द किया जाना— (1) जब कभी किसी ऐसी जोत या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में धारा 80 के अधीन घोषणा की गयी है, कृषि से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जाता है तब उप ज़िलाधिकारी स्व-प्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी विहित की जाए, ऐसी घोषणा को रद्द कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा रद्द की जाए वहां जोत या उससे सम्बन्धित भाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किए जायेंगे, अर्थात्:—

(क) जोत या उसका भाग अन्तरण और न्यागमन के विषय में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबन्धनों के अधीन हो जाएगा;

(ख) जोत या उसके भाग का उस कृषि वर्ष के जिसमें घोषणा को रद्द करने का आदेश दिया जाए, प्रारम्भ के दिनांक से भू-राजस्व का भुगतान किया जाएगा:

परन्तु जब तक इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जोत या भाग का कोई भू-राजस्व पुनर्निर्धारित न किया जाए तब तक धारा 80 के अधीन घोषणा किए जाने के पूर्व ऐसी जोत या उसके भाग के सम्बन्ध में देय या देय समझे गए भू-राजस्व को ऐसी जोत या भाग के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व समझा जाएगा;

(ग) जहां भूमि किसी संविदा या पट्टा के आधार पर उसके भूमिधर से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो और ऐसी संविदा या पट्टा के निबन्धन इस संहिता के उपबन्धों से असंगत हो, वहां ऐसी संविदा या पट्टा, ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य हो जाएगा और कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिधर के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा:

परन्तु घोषणा के रद्द किए जाने के दिनांक को विद्यमान भूमि-बन्धक को ऐसी भूमि पर देय एवं प्रतिभूत धनराशि के लिये दृष्टि बन्धक द्वारा प्रतिस्थापित समझा जाएगा जिसकी ब्याज की दर ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

83 घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना— धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा।

84 असामी का अपनी जोत पर अनन्य कब्जा का अधिकार— किसी असामी का, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपनी जोत में समाविष्ट समस्त भूमि पर अनन्य कब्जा और ऐसी भूमि का उपयोग कृषि से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार होगा:

परन्तु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का, जो राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा **टौंगिया बागान** के लिए आशयित या पृथक् रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

85 इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने के परिणाम—(1) जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर धारा 79 के उपबन्धों के उल्लंघन में अपनी जोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी **ग्राम पंचायत के वाद पर** ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(2) जहां कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है, वहां वह **इस संहिता के किसी** अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के **वाद पर** ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा।

(3) इस धारा के अधीन बेदखली के लिए पारित डिक्री में ऐसे **कार्य की लागत** जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिए अपेक्षित हो के बराबर **क्षति** के भुगतान का निदेश दिया जा सकता है।

86 असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना—जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर या किसी असामी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया गया हो वहां ऐसे भूमिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किये गये किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जायेंगे।

87 सुधार जिसे न हटाया जाय— (1) भूमिधर के लिए उस भूमि पर जिसका वह भूमिधर है ऐसी भूमि पर खेती के लिए या उसका अधिक सुगम उपयोग करने के लिए उस भूमि पर कोई सुधार करना विधिपूर्ण होगा।

(2) जहां किसी खातेदार का किसी जोत या उसके भाग में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या अनुसार समाप्त हो जाय, वहां वह उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी सुधार कार्य को हटाने या प्रयोग में लाने का हकदार न होगा।

अन्तरण

88 भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता— (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय होगा।

(2) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा के सिवाय किसी जोत में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी का हित संक्रमणीय नहीं होगा।

89 भूमिधर द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध— (1) किसी भूमिधर को, किसी जोत या उसके भाग का ऐसा अन्तरण का अधिकार न होगा जहां ऐसा अन्तरण उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों का उल्लंघन हो या उल्लंघन होने की संभावना हो।

(2) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा, जहां ऐसे अर्जन के परिणाम स्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है जो कि ऐसे अंतरिती द्वारा धृत भूमि, यदि कोई

हो, को मिलाकर और जहां पर ऐसा अंतरिती प्रकृत व्यक्ति है, उसके परिवार द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को भी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है।

(3) राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी अर्जन को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन पूर्त या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये हों और किसी पंजीकृत सोसाइटी या किसी कम्पनी या अन्य निगम या शिक्षण संस्था या किसी पूर्त संस्था के पक्ष में हों और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन लोकहित में होगा, और ऐसे किसी मामले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे।

90 भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना— इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गयी किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा या किसी अन्य रीति से जिसमें उसके पक्ष में कब्जे का अन्तरण सम्मिलित है, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार न होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ पद “भारतीय नागरिक” में कोई कम्पनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हों या नहीं और जो पूर्णतया या मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, सम्मिलित होंगी।

91 बन्धक द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध—किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा जहां बन्धक सम्पत्ति का कब्जा अग्रिम दी गयी या अग्रिम दी जाने वाली या उस पर ब्याज के लिये बंधक की धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक गृहीता को अंतरित किया गया हो या अंतरित किये जाने हेतु करार किया गया हो।

92 असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना— इस संहिता के उपबन्धों के अधीन, किसी जोत या उसके किसी भाग में असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित,—

(क) राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति या यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिये गये या लिये जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अध्याय बारह के अधीन भू—राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है।

93 धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अन्तरण विक्रय माना जायेगा— यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गयी किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अंतरित करता है तो किसी विधि या संविदा या अन्तरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी यह संव्यवहार, सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अंतरिती को विक्रय माना जायेगा और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।

94 पट्टे पर प्रतिबन्ध— कोई भूमिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग को पट्टे पर नहीं देगा,

सिवाय;

(क) धारा 95 या धारा 96 में उपबंधित मामलों में या;

(ख) कृषि में प्रशिक्षण देने वाली मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था को।

95 किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना— (1) कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई असामी एक बार में तीन वर्ष की सीमा से अनधिक अवधि के लिए अपने पूरे जोत या भाग को पट्टे पर दे सकता है, यदि वह निःशक्त व्यक्ति है अर्थात् वह नीचे उल्लिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग का है ;

(क) मानसिक रूप से बीमार या मन्दबुद्धि व्यक्ति, ऐसे मामले में उसके अभिभावक द्वारा या उसके सम्पत्ति के प्रबन्धक द्वारा पट्टा किया जाता है;

(ख) किसी शारीरिक अशक्तता के कारण खेती करने के लिए असमर्थ कोई व्यक्ति;

(ग) कोई देवता या कोई वक्फ;

(घ) कोई विधवा या कोई अविवाहित स्त्री;

(ङ) विवाहित महिला परन्तु वह तलाकशुदा हो या उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो या अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक है या अपने पति या अपने पति के सम्बन्धियों की क्रूरता के कारण पृथक् रह रही हो या उसका पति वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ) या वर्ग (ज) का हो;

(च) कोई अवयस्क जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग (क), वर्ग (ख), वर्ग (छ), वर्ग (ज) या वर्ग (झ) या वर्ग (ञ) का हो, ऐसे मामले में उसकी सम्पत्ति के अभिभावक द्वारा पट्टा किया जाता है;

(छ) पैंतीस वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है और जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग (क), वर्ग (ख) वर्ग (ज), वर्ग (झ) या वर्ग (ञ) का है;

(ज) भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसके साथ रह रही उसकी पत्नी या उसके साथ रह रहा उसका पति;

(झ) कोई अन्य व्यक्ति जो विहित कारणों से अपनी जोत में खेती करने में असमर्थ है ;

(ञ) निरोध के अधीन या कारावास भोग रहा कोई व्यक्ति।

(2) जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 के अधीन कार्यवाहियों में कोई बैंक किसी भूमि को अधिगृहीत करता है, वह एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टा धारक का, इस प्रकार पट्टे पर दी गयी भूमि में, कोई अधिकार, हक या हित समाप्त हो जायेगा।

स्पष्टीकरण— पद 'मानसिक रूप से बीमार' और 'मन्दबुद्धि' के वही अर्थ होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1987) में उनके लिये दिये गये हैं।

96 निःशक्त सह—अंशधारकों द्वारा पट्टा करना—(1) जहां कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धृत की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा (1) में उल्लिखित निःशक्तताओं के अधीन नहीं है तो निःशक्त सह—अंशधारक जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अनुसरण में किसी सह—अंशधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है तो ऐसा असामी या सह—अंशधारक ऐसे अंश के बंटवारे के लिए वाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन विभाजन के लिए किसी वाद में किसी अन्य अनुतोष को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

97 पट्टा कैसे किया जायेगा— सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1882) या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) में किसी बात के होते हुए भी धारा 95 में निर्दिष्ट एक वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा, रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या विहित रीति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— कोई पट्टा जो इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करता है इस कारण से इस अध्याय के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया अंतरण नहीं समझा जायेगा।

98 अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध—(1) इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को, कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा;

परन्तु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब—

(क) अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा (2) के खण्ड (क) अथवा धारा 110 के खण्ड (क), जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो ; या

(ख) अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस ज़िले में अन्तरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, उससे भिन्न किसी ज़िले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है ; या

(ग) कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अन्तरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाय।

99 अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों द्वारा अन्तरण पर प्रतिबन्ध— इस अध्याय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बन्धक या पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार न होगा।

100 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना— इस संहिता के

किन्हीं अन्य उपबन्धों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर या कोई असामी राज्य सरकार से या धारा 92 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी संस्था से लिया गया या लिए जाने वाले किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जे के बन्धक द्वारा किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का अन्तरण कर सकता है।

101 विनिमय—(1) संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुये भी, कोई भूमिधर उप ज़िलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमय :-

(क) अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से, या

(ख) धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गयी भूमि से कर सकता है।

(2) उप ज़िलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इन्कार कर देगा, अर्थात् :-

(क) यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबन्दी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है; या

(ख) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि का विहित रीति से अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अन्तर निम्नतर मूल्यांकन के दस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(ग) यदि विनिमय में दी गयी और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अन्तर निम्नतर क्षेत्रफल के पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है; या

(घ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं; या

(ङ) यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, इस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में उल्लिखित भूमि से विनिमय की अनुज्ञा विहित शर्तों पर और विहित रीति से, दे सकती है।

(3) इस धारा में दी गयी कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुयी नहीं समझी जाएगी सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय दो या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) में दी गयी कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।

102 विनिमय के परिणाम— जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है—

(क) तो विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसाकि दी गयी भूमि में उनके पास थे,

(ख) उप ज़िलाधिकारी, तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) में संशोधन किए जाने का आदेश देगा, और

(ग) इस प्रकार विनिमय की गयी भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि एतद्वारा प्रभावित नहीं होगी।

103 इस संहिता के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव—जहां धारा 94, धारा 95, धारा 96 या धारा 99 के उल्लंघन में किसी भूमिधर ने अपनी किसी जोत या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो वहां किसी विधि या संविदा या पट्टा विलेख में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, —

(क) जहां अपने परिवार द्वारा धृत भूमि के साथ पट्टेदार द्वारा धृत भूमि जिसमें कि उसको और उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टे पर दी गयी भूमि सम्मिलित है, का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में **5.0586 हेक्टेयर** से अधिक न हो तो वहां पट्टेदार उस पर असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूमिधर हो जाएगा और समझा जायेगा; और

(ख) जहां कुल क्षेत्रफल, जैसा ऊपर वर्णित है, **5.0586 हेक्टेयर** से अधिक है, वहां पट्टेदार उसका क्रेता हो जाएगा और समझा जायेगा और उस पर धारा 89 के उपबन्ध लागू होंगे।

104 इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा—धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा, किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का किया गया प्रत्येक अंतरण, जो इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो, शून्य होगा।

105 संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम—(1) जहां किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां ऐसे अन्तरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे अर्थात्:—

(क) ऐसे अंतरण की विषय—वस्तु सभी भागों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगी;

(ख) उस जोत या उसके भाग में विद्यमान वृक्ष, फसल, कुएं और अन्य सुधार सभी भागों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे;

(ग) खण्ड (क) और खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सम्पत्तियों में अंतरक और अंतरिती का हित समाप्त हो जायेगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन अंतरक के हित की समाप्ति से किसी असामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त हो जायेगा।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गयी है कलेक्टर के लिये ऐसी भूमि और अन्य सम्पत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन हो, को उससे बेदखल करने का निदेश देना विधिसम्मत होगा और इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और धारा 59 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सम्पत्ति पर लागू होंगे।

106 इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किए गए अन्तरण का परिणाम— जहां किसी जोत या उसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अन्तरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाय वहां

ऐसे असामी को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अन्य भूमि धारक के वाद के आधार पर बेदखल कर दिया जायेगा।

न्यागमन

107 भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत- (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा-पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर के सम्बन्ध में धारा 98 और 99 के उपबंध वसीयत किए जाने के निमित्त उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे जीवनकाल में अन्तरण के लिए लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक इच्छा-पत्र किसी विधि, रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(4) असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या असामी को किसी जोत में अपने हित को इच्छा पत्र द्वारा वसीयत करने का अधिकार न होगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में की गयी कोई वसीयत शून्य होगी।

108 पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम-(1) धारा 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यागमन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धान्त के अनुसार होगा:-

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात् खण्ड (क) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खण्ड (ख) में स्थित उत्तराधिकारी खण्ड (ग) में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे, आदि;

(तीन) भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, के यदि एक से अधिक विधवायें हो तो ऐसी समस्त विधवायें एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी;

(चार) विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, की विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्याधीन पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्:-

- (क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र—पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसार :
- परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;
- (ख) माता और पिता;
- (ग) “निकाल दिया गया”;
- (घ) विवाहित पुत्री;
- (ङ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों; और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;
- (च) पुत्र की पुत्री;
- (छ) पिता की माता और पिता के पिता;
- (ज) पुत्री का पुत्र;
- (झ) विवाहित बहिन;
- (ञ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;
- (ट) बहिन का पुत्र;
- (ठ) सौतेली बहिन का पुत्र, जहाँ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;
- (ड) भाई के पुत्र का पुत्र;
- (ढ) पिता के पिता का पुत्र;
- (ण) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र;
- (त) माता की माता का पुत्र।

109 स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार— जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारम्भ होने के पश्चात् मृत्यु हो जाय, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले वहाँ जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबंधों के अध्यक्षीन यथास्थिति अन्तिम पुरुष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यागत होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में पद “निकटतम जीवित वारिस” का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है।

परन्तु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री, जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हैं, की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यागत होगा।

110 स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भू-धारक का उत्तराधिकार— जहाँ इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहाँ किसी जोत या उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जायगा :-

(क) पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में ;

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा ;

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो, अपवर्जित हो जाएगी ;

(ख) पति;

(ग) “निरसित”;

(घ) विवाहित पुत्री;

(ङ) पुत्री का पुत्र;

(च) पिता;

(छ) विधवा माता;

(ज) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो और भाई का पुत्र प्रति शाखा अनुसार;

(झ) अविवाहित बहिन;

(ञ) विवाहित बहिन;

(ट) बहिन का पुत्र ।

111 धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति व्यावृत्तियां— इस अध्याय में दी गयी किसी बात का अर्थ किसी हिन्दू देवस्थान, मठ, या देवोत्तर सम्पत्ति या किसी मुस्लिम वक्फ, जिसमें कोई जोत भी शामिल है, के प्रबन्धन के न्यागमन पर लागू नहीं समझा जाएगा और जो ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा, जो उस पर लागू होती हों।

112 उत्तरजीविता द्वारा सह-खातेदारों के हित का संक्रमण— (1) जहाँ दो या उससे अधिक सह-विधवायें किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् उत्तराधिकार में प्राप्त करें और उनमें से कोई एक, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मर जाए या पुनर्विवाह कर ले, वहाँ ऐसी सह-विधवा का हित उत्तरजीविता द्वारा उत्तरजीवी विधवा को और जहाँ दो या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह-विधवायें हों, वहाँ उत्तरजीवी सह-विधवाओं को समान अंश में, संक्रमित हो जायेगा।

(2) जहाँ कोई भूमि दो या अधिक सह-खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारम्भ के पश्चात् उसमें से किसी एक की धारा 108 से 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना

मृत्यु हो जाए, वहां ऐसे सह-खातेदार का हित, उत्तरजीवी सह-खोतेदारों को समान अंशों में संक्रमित हो जायेगा।

113 भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे- इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, से भिन्न कोई व्यक्ति न तो इच्छा-पत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा।

114 न्यागमन से सम्बन्धित सामान्य शर्तें- इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यागमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(क) यदि किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जायेगा;

(ख) जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित न हो पाये कि उनमें से किस की मृत्यु हुई है और यदि मृत्यु हुई हो तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है, तब किसी जोत में हित के न्यागमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए, छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है ;

(ग) कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह किसी जोत में मृतक के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा ;

(घ) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (ग) के अधीन किसी भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाय, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यागमन हो जायेगा मानों अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पूर्व हुई हो।

स्पष्टीकरण- इस धारा में पद "हत्या" का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, धारा 304, धारा 304-ख, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दण्डनीय है।

115 राजगामी सम्पत्ति- (1) जहाँ किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो जाए वहा उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि का कब्जा लेगा और उसे विहित रीति से किसी एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक पट्टे की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय।

(3) यदि भूमि पर उप **ज़िलाधिकारी** द्वारा कब्जा लेने के तीन वर्ष के भीतर, कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करे, तो उप **ज़िलाधिकारी** ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, ऐसे दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन अपना दावा अस्वीकृत होने के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर, **अपने अधिकारों** की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(5) उप **ज़िलाधिकारी** उपधारा (1) और (2) के अनुसार भूमि को पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा (4) में निर्दिष्ट वाद का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

(6) यदि उप **ज़िलाधिकारी** द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो, या यदि ऐसे दावेदार का जिसका दावा उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार कर दिया गया हो, उपधारा (4) के अनुसार वाद प्रस्तुत न करे या यदि ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अन्तिम रूप से खारिज हो तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुयी समझी जायेगी, अर्थात् :-

(क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार उपस्थित न हो; या

(ख) उपधारा (4) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है; या

(ग) ऐसे **अन्तिम खारिजा** के दिनांक से जहां उपधारा (4) के अधीन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद अन्ततः खारिज कर दिया गया है।

(7) जहां कोई दावेदार, उपधारा (3) के अधीन किसी दावे में या उपधारा (4) के अधीन किसी वाद में सफल होता है, वहां वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि पर अध्यासन और उसके सम्बन्ध में देय भू-राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबन्ध का व्यय काटने के पश्चात् पट्टेदार से वसूल किए गये लगान पाने का हकदार होगा।

विभाजन

116 जोत के विभाजन के लिये वाद- (1) भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह-अंशधारी है, विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुँओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।

(3) जहाँ **ग्राम पंचायत** से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहाँ एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए सम्बन्धित **ग्राम पंचायत** को पक्षकार बनाया जायेगा।

117 जोत के विभाजन के लिये न्यायालय का कर्तव्य— (1) धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक **कलेक्टर का न्यायालय—**

(क) ऐसी प्रक्रिया का **पालन** करेगा जो विहित की जाय;

(ख) प्रत्येक ऐसे विभाजन के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

(2) धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से, अन्तिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू-राजस्व के सम्बन्ध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

समर्पण और परित्याग

118 भूमिधर द्वारा समर्पण— (1) भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण, तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गयी हो या नहीं।

(2) जहाँ किसी जोत का केवल हिस्सा (अंश) समर्पित किया गया हो वहाँ तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू-राजस्व को प्रभाजित करेगा।

119 असामी द्वारा समर्पण—असामी किसी जोत में (किन्तु उसके किसी अंश मात्र में नहीं) अपने हित का समर्पण भूमिधारकको ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है।

120 समर्पण का प्रभाव— (1) किसी भूमिधर या असामी के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उसने अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118 या धारा 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो।

(2) जहाँ कोई भूमि—

(क) किसी असामी द्वारा समर्पित कर दी जाए, वहाँ ऐसी भूमि में उसका अधिकार, हक या हित ऐसे **समर्पण के दिनांक** से समाप्त समझा जाएगा;

(ख) किसी भूमिधर द्वारा समर्पित कर दी जाय, वहाँ ऐसे जोत में या उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और हित उक्त दिनांक से समाप्त समझा जायेगा।

121 समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व— धारा 118 से 120 के उपबन्धों के होते हुए भी, भूमिधर या असामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के सम्बन्ध में जोत का, यथास्थिति, भू-राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा, जब तक कि समर्पण का नोटिस अप्रैल की प्रथम दिनांक के पूर्व न दे दिया गया हो।

122 भूमिधर द्वारा परित्याग— (1) यदि कोई भूमिधर लगातार तीन कृषि वर्ष की अवधि तक भू-राजस्व का भुगतान न करे और उस भूमि का कृषि के लिये प्रयोग न करे और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह

साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है।

(2) जहां कलेक्टर ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां वह उसे भूमिधर की ओर से एक बार में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से, पट्टे पर दे सकता है।

(3) यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधिपूर्वक भूमि का हकदार हो, उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो, अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारम्भ होने से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसका दावा करे तो वह उसे देयों का, यदि कोई हो, भुगतान करने पर और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे, वापस कर दी जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन कोई दावा न किया जाय या यदि कोई दावा किया जाय, किन्तु अस्वीकृत कर दिया जाय वहाँ कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीति से प्रकाशित किया जायेगा, और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।

(6) इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होंगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो, जहां ऐसी घोषणा निरन्तर प्रवृत्त हो।

123 परित्याग का परिणाम— जहां धारा 122 के अधीन कोई जोत परित्यक्त हो, वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) जोत समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जायेगी;

(ख) सम्बद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जायेगा;

(ग) सम्बद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की उपधारा(4) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो, ऐसी जोत के सम्बद्ध में देय भू-राजस्व का देनदार बना रहेगा।

124 ग्राम पंचायत को कब्जा देना—(1) जब इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि में भूमिधर का हित समाप्त हो जाय तब उप जिलाधिकारी सम्बद्ध ग्राम पंचायत के आवेदन देने पर ऐसी भूमि का अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ग्राम पंचायत को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे असामी को, जिसके पास किसी ग्राम पंचायत से, या धारा 95 की उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी बैंक से प्राप्त भूमि हो, बेदखल करने पा लागू होंगे।

ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा

125 ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा प्रवेश-भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि का पट्टा उप ज़िलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के रूप में स्वीकार कर सकती है :-

(क) धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौंपी हुई समझी गयी, धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि के निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर ;

(ख) खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) में स्थित भूमि को छोड़कर धारा 77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी, जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाय या सौंपी हुयी समझी जाय।

126 भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम-(1) धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबन्धक समिति, निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई हो, विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता-पिता, जो ग्राम सभा में निवास करते हों और भूमिहीन हों;

(ख) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो;

(ग) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो;

(घ) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक;

(ङ) ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त हो गया हो या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो;

(च) ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो;

(छ) कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम-सभा में निवास न करता हो, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम

संख्या 26, सन् 1947) की धारा 42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए:—

(एक) “आवंटन” में इस संहिता द्वारा किसी निरसित अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया कोई आवंटन, सम्मिलित है;

(दो) “निरसित”;

(तीन) किसी व्यक्ति को “भूमिहीन” समझा जाएगा, यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों, ओर जहां आवंटिती स्वयं अवयस्क हो, वहां उसके माता-पिता के पास आवंटन के दिनांक को या उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो;

(चार) पद “स्वतन्त्रता सेनानी” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है—जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में यथा परिभाषित हो;

(पांच) अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1994) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(छः) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित व्यक्तियों से है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाय, वह ऐसी भूमि को मिलाकर, जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी की रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेअर से अधिक न हो।

127 आवंटन का परिणाम—(1) जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंटित की जाए, और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां, जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ सम्बद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जायगा।

(2) आवंटिती ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी विहित की जाय, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि आवंटिती विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है, तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह-आवंटिती होगी।

128 आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना— (1) कलेक्टर, किसी आवंटन के सम्बन्ध में, विहित रीति से, स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा, और यदि उसका समाधान हो जाए कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निरसित किन्हीं अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में है तो वह, आवंटन और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है।

(1-क) उपधारा (1) के अन्तर्गत कोई प्रार्थना पत्र इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व किये गये आवंटन की स्थिति में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात किये गये

आवंटन की स्थिति में, ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर दिया जा सकता है।

(2) जहाँ किसी भूमि का आवंटन या पट्टा उपधारा (1) के अधीन निरस्त किया जाए, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :-

(क) ऐसी भूमि में और उस पर विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटिती या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जाएगा, और वे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित हो जायेंगे;

(ख) कलेक्टर ऐसी भूमि, वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् ग्राम पंचायत को तुरन्त उन पर कब्जा देने का निदेश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(3) जहाँ उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही में, कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खण्ड (क) या खण्ड (ज) या (झ) के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गयी है, वहाँ वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाय, यह निदेश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन असामी माना जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 210 के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए अन्तिम होगा।

(5) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 5 और 49 के उपबन्ध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे।

129 आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली- (1) जहाँ धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहाँ राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो तो सहायक कलेक्टर, यथास्थिति, स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग, जैसा वह आवश्यक समझे, कर सकता है या करा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कब्जा दे दिये जाने के पश्चात् किसी भूमि या उसके भाग के पुनः अधिभोग के सम्बन्ध में धारा 65 की उपधारा (2) से (8) के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

बेदखली

130 भूमिधरों को बेदखल न किया जाना- इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपबंधित के सिवाय कोई भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा।

131 असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद- (1) कोई असामी उसके द्वारा धारित भूमि से ग्राम पंचायत या भूमिधारक के वाद के सिवाय, जैसी भी स्थिति हो, जो कि निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर दाखिल किया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) यह कि इस संहिता के उपबन्धों के अधीन असामी का हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो गया है;

(ख) यह कि असामी वर्षानुवर्ष या किसी एक अवधि के लिए भूमि धारण कर रहा था जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी है या चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाएगी;

(ग) यह कि असामी किसी ऐसे प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा है जो धारा 84 के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है;

(घ) यह कि भूमि धारक धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त था और या तो उसकी निःशक्तता समाप्त हो गयी है या वह भूमि को अपने निजी कृषि उपयोग में लाना चाहता है;

(ङ) यह कि असामी एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगान का व्यतिक्रमी था और वह मांग की सूचना की तामील के बावजूद तीस दिनों की अवधि के भीतर भूमिधारक को उसका भुगतान करने में विफल रहा हो;

(च) यह कि असामी ने उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में अंतरित कर दिया है।

(2) इस धारा के अधीन वाद दाखिल करने के पूर्व असामी को निकल जाने की कोई सूचना देना आवश्यक न होगी।

(3) भूमिधारक, बेदखली के किसी वाद में लगान के बकाये का भी दावा कर सकता है।

(4) भूमिधारक, असामी को बेदखली के लिए वाद दाखिल किये बिना भी लगान के बकाये का वाद दाखिल कर सकता है।

132 फसलों और पेड़ों पर अधिकार- (1) जहाँ धारा 131 के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में कोई असामी बेदखल किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्यायनिर्णीत ऋणी की असंगृहीत कोई फसल या पेड़ भूमि पर विद्यमान है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा :-

(क) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या अधिक है तो न्यायालय ऐसी फसलों और पेड़ों के साथ भूमि का कब्जा डिक्री धारक को परिदत्त करेगा और

ऐसी फसलों और पेड़ों में न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जाएंगे;

(ख) यदि न्यायनिर्णीत ऋणी का देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य से कम है, और—

(एक) डिक्री धारक ऐसी धनराशि और मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान न्यायनिर्णीत ऋणी को कर देता है तो न्यायालय भूमि का कब्जा डिक्री धारक को सौंप देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में या पर न्यायनिर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जायेंगे;

(दो) डिक्री धारक ऐसे अन्तर का भुगतान नहीं करता है तो न्यायनिर्णीत ऋणी को भूमि के उपयोग और अध्यासन हेतु न्यायालय द्वारा यथा नियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति, एकत्रित किये या हटाये या काटे नहीं जाते या वे मृत नहीं हो जाते।

(2) डिक्री निष्पादनकर्ता न्यायालय, किसी पक्षकार के आवेदन पर फसलों या पेड़ों के मूल्य का और उपधारा

(1) के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णीत ऋणी द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण कर सकता है।

133 व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद—ग्राम पंचायत या भूमिधारक, धारा 131 के अधीन किसी असामी की बेदखली हेतु वाद चलाने के बजाय उप ज़िलाधिकारी के न्यायालय में निम्नलिखित के लिए वाद दाखिल कर सकता है :-

(क) भूमि के किसी अप्राधिकृत उपयोग या उसे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिए व्यादेश;

(ख) ऐसे उपयोग में लाने या बेकार करने या नुकसान पहुंचाने के लिये क्षतिपूर्ति हेतु; या

(ग) भूमि को बेकार करने या हुए नुकसान की भरपाई हेतु।

134 बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली— (1) जहां कोई व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों की अनुरूपता से अन्यथा या ऐसे भूमिधर या असामी की सहमति के बिना किसी भूमिधर या असामी के जोत (धृत) के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमिधर या असामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा ओर विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि से सम्बन्धित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जायेगा।

135 “निरसित”

136 ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली- (1) इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुये भी उप ज़िलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की

सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे, अर्थात्—

(क) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी **ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गयी या न्यस्त समझी गई कोई भूमि;

(ख) कोई भूमि जिस पर **ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो;

(ग) कोई भूमि जो **ग्राम पंचायत** या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या द्वारा धारित की गयी हो;

(घ) असामी धारा 77 के खण्ड (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट भूमि—धारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असंभव हो गयी है;

(ङ) असामी को धारा 125 के खण्ड (ख) के अधीन भूमि दी गयी थी और **ग्राम पंचायत** उसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहती है।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय, उप **ज़िलाधिकारी** यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द “भूमि” में ऐसी भूमि पर विद्यमान **पेड़ और अन्य सुधार** भी है।

137 गलत बेदखली के लिए उपचार—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि से बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित या कब्जा लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने वाले, निकालने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध—

(एक) भूमि के **कब्जे के लिए**; या

(दो) गलत रूप में बेदखली हेतु क्षतिपूर्ति के लिए;

वाद दायर कर सकता है।

(2) जब किसी गलत विस्थापन के लिए न कि कब्जेदारी के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कोई डिक्री पारित की जाती है तो प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति उस सम्पूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके दौरान असामी कब्जा रखने के लिए हकदार था।

लगान

- 138 असामी द्वारा देय लगान**— ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विहित की जाय, किसी भूमि के अध्यासन हेतु अनुमति पाने पर कोई असामी ऐसे लगान के भुगतान का दायी होगा जैसा कि यथास्थिति, उसके भूमिधारक या **ग्राम पंचायत** और उसके बीच अनुबंधित किया गया हो।
- 139 लगान निर्धारण के लिए वाद**— (1) जहां कोई व्यक्ति लगान पर सहमत हुए बिना किसी भूमि पर असामी के रूप में कब्जेदार हो, तो असामी या उसका भूमिधारक किराये के निर्धारण हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, तहसीलदार यथाविहित रीति में जांच कराएगा और इस संहिता के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार लगान नियत करेगा।
- (3) उपधारा (2) में नियत किया गया लगान किसी असामी द्वारा इस रूप में भूमि के अध्यासन के दिनांक से संदेय हो जाएगा।
- (4) उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उप **ज़िलाधिकारी** को अपील दायर कर सकता है, और इस संहिता के अन्य उपबंधों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी उप **ज़िलाधिकारी** का आदेश अंतिम होगा।
- 140 बकाया हेतु दावा की डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा आपदा के लिए छूट**— (1) जहाँ लगान की बकाया की वसूली के लिए वाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि उस अवधि में जिसके लिए बकाया का दावा किया गया है, जोत का क्षेत्र जलप्लावन या अन्य प्रकार से सारवान रूप से घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू जमा हो जाने या अन्य विपत्ति के कारण सारवान रूप से कम हो गयी थी, वहाँ वह लगान में ऐसी छूट दे सकता है जैसी उसे न्याय संगत प्रतीत हो;
- परन्तु ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जाएगा कि जिस अवधि के लिए वह दी गयी है उसके अतिरिक्त किसी और अवधि के लिए भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परिवर्तन हो गया है।
- (2) जहां न्यायालय उपधारा (1) के अधीन छूट दे, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किए जाय, भू-राजस्व में पारिणामिक छूट का आदेश देगा।

141 लगान की गणना- (1) जहां किसी जोत के सम्बन्ध में नकद से भिन्न रूप में लगान देय हो तो सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से या ग्राम पंचायत या ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसको लगान देय हो के आवेदन पर विहित रीति से लगान की गणना कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगणित किराया, संगणना के आदेश के दिनांक के पश्चात्पूर्वी जुलाई माह के प्रथम दिन से देय होगा जब तक कि आदेश में कोई अन्य दिनांक की व्यवस्था न हो।

142 ग्राम पंचायत आदि के असामी से बकाया लगान की वसूली-ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त भूमि को धारण करने वाले असामी से बकाया लगान चाहे वह इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् देय हो, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा।

143 बकाया लगान को बट्टे खाते डालने की शक्ति- इस संहिता के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गयी किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान का सम्पूर्ण बकाया या उसके किसी भाग को ऐसी परिस्थितियों में, जैसी विहित की जाय, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा अवसूलनीय मानकर बट्टे खाते में डाला जा सकता है :

परन्तु ऐसा संकल्प तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उप जिलाधिकारी उसकी पुष्टि न कर दें।

घोषणात्मक वाद

144 खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद- (1) कोई व्यक्ति, जो कि किसी जोत या उसके भाग का, चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामीहोने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वाद में, जो-

(क) किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होंगे;

(ख) किसी असामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होगा।

145 ग्राम पंचायत द्वारा घोषणात्मक वाद-विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो किसी भूमि में किसी अधिकार के हक का दावा करता है, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए, वाद संस्थित कर सकती है और न्यायालय अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कर सकता है और ग्राम पंचायत को ऐसे वाद में किसी अन्य राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं होगी।

146 व्यादेश का उपबंध-यदि धारा 144 या 145 के अधीन किसी वाद के दौरान शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा यह सिद्ध हो जाता है:-

(क) कि विवादित भूमि पर कोई सम्पत्ति, पेड़ या खड़ी फसल को वाद के किसी पक्षकार द्वारा बेकार करने, क्षति पहुंचाने या अन्यथा संक्रामित किए जाने का खतरा है; या

(ख) कि वाद का कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त सम्पत्ति, पेड़ या फसल को हटाने या बेच देने की धमकी देता है या इरादा रखता है—

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश दे सकता है और जहाँ आवश्यक हो, रिसीवर भी नियुक्त कर सकता है।

अध्याय—दस
सरकारी पट्टेदार

- 147** **सरकारी पट्टेदार की परिभाषा—** प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे ऐसा पट्टा इस संहिता के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में सरकारी पट्टेदार कहा जायेगा।
- 148** **सरकारी पट्टेदार का भूमि धारण करने का हक—**इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक सरकारी पट्टेदार को पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ऐसी भूमि धारण करने का हक होगा।
- 149** **सरकारी पट्टेदार की बेदखली—**किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूमि से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, अर्थात् :-
- (क) वह लगान, या पट्टे के अधीन देय किसी अन्य धनराशि, का उस दिनांक से जब वह देय हुआ हो, छः मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहा होगा;
- (ख) उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए वह दी गयी थी, भिन्न प्रयोजन के लिए किया है;
- (ग) उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गयी है या पट्टा निरस्त कर दिया गया है;
- (घ) उसने पट्टे के किसी निबन्धन या शर्त का उल्लंघन किया है।
- 150** **उ० प्र० अधिनियम संख्या 22, 1972 के उपबन्ध लागू होंगे—**उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के उपबन्ध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के अधीन अप्राधिकृत अध्यासियों पर लागू होते हैं और उप **ज़िलाधिकारी** को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी समझा जायेगा।
- 151** **सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार—** (1) यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी किसी भूमि पर पट्टे के निबन्धन और शर्तों से भिन्न प्रकार से और ऐसे पट्टेदार की सहमति के बिना कब्जा कर लेता है या उसे बनाए रखता है तो ऐसा व्यक्ति सम्बद्ध सरकारी पट्टेदार के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और विहित दरों पर क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।
- (2) उपधारा(1) के अधीन संस्थित किसी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा किन्तु **ग्राम पंचायत** पक्षकार नहीं होगी।
- (3) यदि किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट बेदखली के लिए वाद का संस्थापन या किसी ऐसे वाद में प्राप्त बेदखली की डिक्री का निष्पादन, उसके लिए उपबन्धित परिसीमा काल के भीतर न किया जाय तो ऐसी अवधि की समाप्ति से उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —
- (क) सरकारी पट्टेदार को पट्टे पर उठाई गयी भूमि पर कब्जा करने या कब्जा बनाए रखने वाले व्यक्ति को धारा 150 के अनुसार बेदखल किया जा सकेगा;
- (ख) ऐसी भूमि पर सरकारी पट्टेदार का अधिकार, हक और हित समाप्त हो जायेगा और उसके

पट्टे की अवधि समाप्त समझी जायेगी।

- 152** भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य देय- किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा देय लगान या किसी अन्य धनराशि की बकाया को भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है।

अध्याय—ग्यारह
भू—राजस्व का निर्धारण

153 भूमिधर द्वारा धृत भूमि पर भू—राजस्व के भुगतान का दायित्व— (1) किसी भूमिधर द्वारा धृत समस्त भूमि का, चाहे वह कहीं पर स्थित हो और उसका उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, भू—राजस्व निर्धारित किया जाएगा (ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए) और उसका भुगतान राज्य सरकार को किया जाएगा :

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है।

(2) भूमि का भू—राजस्व, इस बात के होते हुये भी कि उसे उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन छूट दी गयी है, निर्धारित किया जा सकता है।

(3) किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू—राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित भूमि को भू—राजस्व के भुगतान से छूट रहेगी, अर्थात्—

(क) सुधार से भिन्न भवन द्वारा आच्छादित भूमि;

(ख) कब्रिस्तान और श्मशान।

154 भूमिधर द्वारा देय भू—राजस्व— (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से भूमिधर के रूप में कोई भूमि धारण कर रहा हो, राज्य सरकार को भू—राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा और करता रहेगा जो वह इस संहिता के प्रवर्तन में आने के वर्ष के पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में ऐसी भूमि के लिए करने का दायी था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को भू—राजस्व की उसी धनराशि का भुगतान करेगा जो ऐसे अर्जन के दिनांक के ठीक पूर्व ऐसी भूमि के लिए देय थी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी भूमि में भूमिधरी अधिकार अर्जित करता है जिसके सम्बन्ध में ऐसे अर्जन के ठीक पूर्व कोई भू—राजस्व देय नहीं था, उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सिद्धान्तों के अनुरूप, जैसे विहित किये जायें, अवधारित भू—राजस्व का भुगतान करने का दायी होगा।

155 भू—राजस्व में परिवर्तन— इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भूमिधर द्वारा देय भू—राजस्व में, उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में नदी क्रिया या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर विहित रीति से परिवर्तन किया जा सकता है।

156 कतिपय मामलों में भू—राजस्व की छूट— इस संहिता में किसी उपबन्ध के होते हुए भी, किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेअर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू—राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जायेगी।

- 157 कृषि विपत्ति होने पर भू-राजस्व में माफी या स्थगन-** (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, कृषि सम्बन्धी विपत्ति आने पर, जिससे किसी ग्राम या ग्राम के भाग की फसलों पर प्रभाव पड़े ऐसी विपत्ति से प्रभावित किसी जोत के सम्पूर्ण भू-राजस्व या उसके किसी भाग को किसी भी अवधि के लिए माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।
- (2) इसी प्रकार, राज्य सरकार, किसी ग्राम या उसके भाग में जहाँ ऐसी विपत्ति आयी हो, असामी द्वारा ग्राम पंचायत को देय लगान माफ कर सकती है या उसे किसी अवधि के लिए स्थगित कर सकती है।
- 158 कतिपय दशाओं में लगान में परिवर्तन करने की राज्य सरकार की शक्ति-** जब कभी भू-राजस्व में धारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाय या धारा 157 के अधीन माफी दी जाय या उसे स्थगित किया जाय, तब राज्य सरकार ग्राम पंचायत के असामी से भिन्न असामी द्वारा देय सम्पूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर सकती है, या यथास्थिति माफ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है।
- 159 लगान स्थगित करने के परिणाम-** जहाँ किसी लगान का भुगतान धारा 157 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, वहां-
- (क) उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहे, लगान की वसूली के लिए किसी वाद के लिए अनुज्ञात परिसीमा काल की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा; और
- (ख) ऐसे स्थगन की अवधि में उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा न कोई आवेदन दिया जा सकेगा।
- 160 राजस्व मुक्त भूमि की वार्षिक जांच-** (1) कलेक्टर भू-राजस्व के भुगतान से मुक्त समस्त भूमि के मामले की प्रति वर्ष जांच करेगा।
- (2) यदि मुक्ति किसी शर्त पर दी गयी है और उसे भंग किया गया हो तो वह मामले की रिपोर्ट परिषद को आदेशार्थ करेगा और उस पर परिषद का आदेश अन्तिम होगा।
- 161 भू-राजस्व की धनराशि का पूर्णकृत किया जाना-** जहाँ किसी भू-राजस्व के कारण देय धनराशि या उसकी किसी किस्त में रूपये का अंश शामिल हो तो उसे निकटतम रूपये तक पूर्णकृत कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ यदि धनराशि में रूपये का ऐसा हिस्सा पचास पैसा या अधिक हो तो उसे बढ़ाकर पूरा एक रूपया कर दिया जाएगा और यदि ऐसा हिस्सा पचास पैसे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
- 162 आदेशों का अंतिम होना-** इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय— बारह

भू-राजस्व का संग्रह

- 163 भू-राजस्व प्रथम प्रभार होगा—** (1) किसी जोत का निर्धारित भू-राजस्व ऐसी जोत पर और उस पर स्थित वृक्षों या भवनों या उसके लगान, लाभ या उपज पर भी, प्रथम प्रभार होगा।
- (2) भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली की जाने योग्य किसी अन्य धनराशि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दावे को किसी भूमि पर उसको धारण करने वाले के विरुद्ध समस्त अप्रतिभूत दावों पर वरीयता दी जायेगी।
- 164 भूमिधर संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे—**किसी जोत के समस्त सहभूमिधर उस पर तत्समय निर्धारित भू-राजस्व के भुगतान के लिए राज्य सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे और ऐसे भूमिधरों के हित के चाहे न्यागमन द्वारा या अन्य प्रकार से, उत्तराधिकारी समस्त व्यक्ति, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में देय भू-राजस्व के समस्त बकायों के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 165 भू-राजस्व का देय होना और भुगतान किया जाना—** किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू-राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जायेगा और उसका **ऐसे समय पर, ऐसी किस्तों में,** ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से, जैसा विहित किया जाय, भुगतान किया जायेगा।
- 166 भू-राजस्व के संग्रह के लिए प्रबन्ध—** राज्य सरकार भू-राजस्व के संग्रह के लिए ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसा अभिकरण नियोजित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।
- 167 व्यतिक्रमी—** कोई भू-राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो, उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति व्यतिक्रमी हो जायेंगे।
- 168 प्रमाणित लेखा बकाया का साक्ष्य होगा—** इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण, भू-राजस्व के बकाया होने, उसकी धनराशि और ऐसे व्यक्ति का जो **व्यतिक्रमी हो, का निश्चायक प्रमाण होगा।**
- 169 मांग-पत्र—** जैसे ही भू-राजस्व की बकाया देय हो जाय, वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग-पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जायेगी।

170 बकाये की वसूली हेतु प्रक्रिया— (1) मांग पत्र में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर भुगतान न किये गये भू-राजस्व की बकाया निम्नलिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या उसे निरुद्ध करके;
- (ख) उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है, कुर्की और विक्रय करके;
- (ग) व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते या लॉकर की कुर्की करके;
- (घ) ऐसी भूमि जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, कुर्की करके;
- (ङ) ऐसी भूमि को जिसके सम्बन्ध में बकाया देय हो, पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री करके;
- (च) व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके;
- (छ) व्यतिक्रमी की किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति का रिसीवर की नियुक्ति करके।

स्पष्टीकरण— शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्वारा यह घोषणा की जाती है कि एतदपूर्व उल्लिखित दो या अधिक आदेशिका साथ-साथ या एक के बाद एक प्रयुक्त और प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

(2) भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किन्तु जो किसी विशिष्ट भूमि के सम्बन्ध में देय न हो, इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर सम्पत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वह भूमिधर है, से आदेशिका द्वारा वसूल किया जा सकता है।

171 गिरफ्तारी और निरोध—(1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाय, पंद्रह दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान न कर दिया जाय:

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भू-राजस्व के बकाये के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहां और जब तक के लिए कि ऐसा व्यक्ति:

- (क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95(1)(क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;
- (ख) संघ के सशस्त्र बल का हो;
- (ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135—क के अधीन छूट प्राप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जायेगा जब तक कि गिरफ्तारी वारण्ट जारीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि निरुद्धि की प्रक्रिया बकाये की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान के लिए बाध्य करेगा।

(4) गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारण्ट का समपहरण कर सकता है (वापस ले सकता है) यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति सम्पूर्ण बकाये या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने

का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है।

(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जायेगा, जब वसूली के लिये ईप्सित धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक हो।

172 जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री- (1) उप जिलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन कुर्की और उपधारा (5) के अधीन बिक्री से मुक्त होगी:-

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, रसोई के बर्तन, पलंग और बिस्तर और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता;

(ख) ग्रामीण शिल्पी के औजार और यदि व्यतिक्रमी कृषक हो, तो उसके खेती के उपकरण (यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण को छोड़कर) और ऐसे पशु और बीज, जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिए आवश्यक हों;

(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।

स्पष्टीकरण 1- इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद "कृषक" का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतया कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहता है।

स्पष्टीकरण 2-स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है, यदि वह-

(क) स्वयं अपने श्रम से,

(ख) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम से, या

(ग) नकद या वस्तुरूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है।

(3) जहां कोई जंगम सम्पत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाय और व्यतिक्रमी कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे जिससे उसका समाधान हो जाय, वहां इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति व्यतिक्रमी की अभिरक्षा में छोड़ दी जायेगी। यदि कुर्की के समय व्यतिक्रमी उपलब्ध न हो या यदि उपलब्ध हो किन्तु कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति देने में विफल हो जिससे उसका समाधान हो जाय तो कुर्क की गयी सम्पत्ति किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने को इच्छुक हो :

परन्तु पशुधन की स्थिति में, उसे निकटतम कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है यदि न तो व्यतिक्रमी ऐसी प्रतिभूति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छुक

हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन किसी जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपत्र में एक बन्ध-पत्र (सुपुर्दनामा) (जो स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगा) निष्पादित करेगा और ऐसी सम्पत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण उप ज़िलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे सुपुर्ददार से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किए जा सकेंगे।

(5) यदि इस धारा के अधीन स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उप ज़िलाधिकारी विहित रीति से उसका विक्रय कर सकता है।

173 व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लॉकर की कुर्की- व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की, जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 21 के नियम 46, 46-क तथा 46-ख में अधिकथित रीति से सम्बन्धित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबन्धक को अनुत्तरी आदेश को तामील करके की जाय और व्यतिक्रमी द्वारा किराये पर लिए गए लॉकर की दशा में उसे ऐसे प्रबन्धक की उपस्थिति में सील किया जायेगा जो कि तत्पश्चात् उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उनके अंततः निस्तारण के सम्बन्ध में उप ज़िलाधिकारी के अग्रतर आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

174 जोत की कुर्की- (1) कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।

(2) जहां बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कुर्की की गयी हो भुगतान कर दिया जाय, वहां ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जायेगा।

(3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर न किया जाय तो कलेक्टर, यथास्थिति, धारा 175 या धारा 176 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

175 जोत का पट्टा-(1) जहां कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्की की जाय, वहां कलेक्टर संहिता में किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें विहित किया जाय, ठीक आगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाय, ऐसी भूमि पर देय सम्पूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू-राजस्व उस दर से, जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उसकी कुर्की किए जाने के ठीक पूर्व व्यतिक्रमी द्वारा देय रही हो, भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) यदि पट्टे की अवधि में, पट्टेदार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करें और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो तो उससे ऐसी धनराशि धारा 170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी समाप्त किया

जा सकेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, भूमि सम्बद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त, वापस कर दी जाएगी।

176 जोत की बिक्री—(1) जहां कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गयी भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार न हो या जहां किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है वहां कलेक्टर ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उस भाग को विहित रीति से बँच सकता है और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।

(2) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा।

177 अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर भू-राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमीकी किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है :

परन्तु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ "कृषक" का वही अर्थ होगा, जो उसे धारा 172 में दिया गया है।

178 रिसीवर की नियुक्ति— (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहां कलेक्टर आदेश द्वारा—

(क) व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, रिसीवर नियुक्ति कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है;

(ग) रिसीवर को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने, सम्पत्ति की वसूली, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का निष्पादन करने की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हों, या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझे।

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार व्यतिक्रमी को न हो, सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी।

(3) कलेक्टर समय-समय पर रिसीवर की नियुक्ति की कालावधि बढ़ा सकता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यतिक्रमी को कारण बताने का नोटिस न दे दिया जाय और ऐसे अभ्यावेदन पर जो ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो, विचार न कर लिया जाय।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अंतरिम आदेश, ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है।

परन्तु अग्रेतर यह कि जहां ऐसी सूचना जारी किए जाने के पूर्व कोई अंतरिम आदेश किया जाता है तो अंतरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किए जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जायेगा।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6) **रिसीवर, कलेक्टर** के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसे कलेक्टर उचित **समझे**।

(7) कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताये बिना किसी रिसीवर को ऐसे रिसीवर का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर कोई अन्य रिसीवर नियुक्त कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अदक्षता, घोर उपेक्षा, **जान बूझकर व्यतिक्रम, अवज्ञा, अवचार, गम्भीर लोप या किसी सम्पत्ति के दुर्विनियोग के आधार पर** किसी रिसीवर का बना रहना वांछनीय या समीचीन न होगा। इस धारा के अधीन रिसीवर के पद से हटाया गया व्यक्ति, हटायेजाने के कारण किसी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(8) **कलेक्टर को रिसीवर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह अवधारण करने कि** रिसीवर के जान-बूझकर व्यतिक्रम करने, अवचार या उसकी घोर उपेक्षा से या किसी दुर्विनियोग के कारण क्या और कितनी हानि, यदि कोई हो, हुई है और रिसीवर से हानि की धनराशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने की शक्ति होगी।

(9) सम्पत्ति का लगान लाभ या उससे प्राप्त कोई अन्य आय, प्रबन्ध व्यय को जिसमें रिसीवर का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, चुकता करने के पश्चात् बकाया को चुकता करने में समायोजित किया जायेगा और शेष धन, यदि कोई हो, **व्यतिक्रमी** को दे दिया जायेगा।

(10) जैसे ही उपधारा (9) के अधीन या अन्य प्रकार से बकाया चुकता हो जाय, कलेक्टर **व्यतिक्रमी** को सम्पत्ति वापस कर देगा।

179 वसूली की प्रक्रिया—इस अध्याय के अनुसार भू-राजस्व अथवा भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली योग्य अन्य देयों का संग्रह करने के प्रयोजनार्थ वसूली अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय।

180 **लागत और संग्रह प्रभारों की वसूली-** (1) धारा 170 से 178 तक में उल्लिखित प्रक्रियाओं का व्यय जिसमें गिरफ्तारी और निरोध का व्यय भी सम्मिलित है, ऐसा होगा जैसा विहित किया जाय।

(2) राज्य सरकार देय धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक की दर पर संग्रहण प्रभार आरोपित कर सकती है, जैसा कि विहित किया जाय।

परन्तु कोई संग्रहण प्रभार देय नहीं होगा यदि देय धनराशि का भुगतान, यथास्थिति व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी के पूर्व या कुर्क की गयी संपत्ति की बिक्री के पूर्व कर दिया जाता है।

(3) ऐसी लागतों और संग्रहण प्रभारों को उसमें जोड़ा जा सकता है और वह भू-राजस्व के बकाये की भांति उसी रीति से वसूली योग्य होगी।

181 **विधिक प्रतिनिधियों इत्यादि के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही-** (1) यदि इस अध्याय के अधीन बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् किसी समय व्यतिक्रमी की मृत्यु हो जाय तो व्यतिक्रमी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाहियां (गिरफ्तारी और निरोध के सिवाय) प्रारम्भ की जा सकेंगी या चालू रखी जा सकेंगी मानों विधिक प्रतिनिधि स्वयं व्यतिक्रमी रहे हों :

परन्तु ऐसे विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की केवल उस सीमा तक होगा जो उसके हाथ लगी है।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभू हुआ हो, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है मानों वह स्वयं व्यतिक्रमी हो।

स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

182 **स्थावर सम्पत्ति की कुर्की-**(1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक आदेशिका कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 54 में विहित रीति से कार्यान्वित की जायेगी।

183 कुर्की के विरुद्ध आपत्ति—(1) जहां कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, किया गया है तो कलेक्टर जांच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा

(क) जहां दावा किये जाने के पूर्व ही कुर्क की गयी सम्पत्ति का विक्रय किया जा चुका हो; या

(ख) जहां कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है; या

(ग) जहां कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति में दावा करता है, को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम केअध्यधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा।

184 विक्रय की उद्घोषणा—(1) जहां इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहां कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगा:—

(क) विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;

(ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और सर्किल रेट;

(ग) तदनिमित्त संदेय भू-राजस्व, यदि कोई हो;

(घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;

(ङ.) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;

(च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान; और

(छ) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें कि कलेक्टर आवश्यक समझे।

(2) जहां विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित भूमि काक्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर हो वहां उपधारा (1) के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील कराई जायेगी।

- 185 उद्घोषणा का चिपकाया जाना**— धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर चिपकायी जायेगी:—
- (क) कलेक्टर का कार्यालय;
- (ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय;
- (ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में कोई अन्य सार्वजनिक भवन;
- (घ) व्यतिक्रमी का निवासगृह।
- 186 विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाय**— (1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
- (2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जायेगा।
- (3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।
- (4) जहां किसी विक्रय को इक्कीस दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या जहां क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुनः विक्रय किया जाता है तो मूल विक्रय के लिए विहित प्रपत्र में नयी उद्घोषणा निर्गत की जायेगी।
- 187 विक्रय को रोका जाना**— यदि व्यतिक्रमी ऐसी सम्पत्ति, जिसका विक्रय किया जाना है, के सम्बन्ध में विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित बकाये का भुगतान कर देता है तो विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा।
- 188 बोली लगाने का निषेध**—(1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है, और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गयी सम्पत्ति अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगायेगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।
- (2) जहां ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिए आदेश दे सकता है।
- 189 क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुनः विक्रय**—(1) क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत तुरन्त जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुनः विक्रय कर दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी का दायी होगा और कलेक्टर द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई जमा या तो नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा (किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत) या अंशतः नगद और अंशतः ऐसे ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "डिमाण्ड ड्राफ्ट" में बैंकर्स चेक भी है।

190 क्रय धन का जमा किया जाना- क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से पन्द्रहवें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या ज़िला कोषागार या उप कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर-

(क) सम्पत्ति को पुनः विक्रय कर दिया जायेगा; और

(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

191 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय- जहां किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का किसी भूमि में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है और ऐसी जाति या जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलामी के तीस दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिये क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है तो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, ऐसी धनराशि देने वाला व्यक्ति विक्रय के मामले में ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी जाति या जनजाति का न हो, अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा:

परन्तु यह कि यदि ऐसा जमा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति है तो मौके पर ही उनमें से बोली लगवायी जायेगी और अधिकतम बोली लगाने वाला ऐसी वरीयता का हकदार होगा।

परन्तु यह और कि जहाँ पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में, इस धारा के अन्तर्गत अधिमानता के कारण, पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।

192 बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन-(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या स्थावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय कर दी गयी हो, विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या ज़िला कोषागार या उप कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है-

(क) क्रेता को क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए; और

(ख) अवशेष के मद्दे भुगतान करने के लिए, विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मद्दे भुगतान की गयी हो;

(ग) विक्रय की प्रक्रियाओं की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो वहां वह धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

193 अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन-(1) विक्रय दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, व्यतिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित

हो रहा हो, ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर देता है कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षति हुई है।

(3) राजस्व परिषद में पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

194 विक्रय की पुष्टि—(1) यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथास्थिति, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तो कलेक्टर उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय की पुष्टि कर देगा।

(2) जहां इस अध्याय के अधीन स्थावर संपत्ति के किए गए विक्रय में, क्रय धन की धनराशि:—

(क) पचास लाख रूपये से अधिक है; या

(ख) ऐसी सम्पत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम हो;

तो कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

195 कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना— धारा 192, धारा 193 या धारा 194 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन हुये किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने की नोटिस देते हुए वह विक्रय को लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।

196 कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन—यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या त्रुटि से संबंधित सभी दावे वर्जित हो जायेंगे।

197 क्रय धन का प्रतिदाय— जहां धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामलों में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा।

198 विक्रय का प्रमाण—पत्र—(1) धारा 194 के अनुसार किसी विक्रय की पुष्टि के पश्चात् कलेक्टर, विक्रय की गयी सम्पत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया था, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में क्रेता को एक प्रमाण—पत्र प्रदान करेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया प्रमाण पत्र उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का

विधिक अन्तरण समझा जायेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 में उपबन्धित के सिवाय इसको हस्तांतरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति क्रेता में उस दिनांक से, जब उसका विक्रय किया गया हो, निहित समझी जायेगी और ऐसे दिनांक से नहीं जब विक्रय की पुष्टि की गयी हो।

199 प्रमाण-पत्र प्राप्त क्रेता को कब्जा दिलाना-(1) कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति का क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का जैसा आवश्यक समझा जाए, **उपयोग कर सकता है या करा सकता है।**

(2) इस धारा में कोई बात कलेक्टर को किसी व्यक्ति को, जिसको व्यतिक्रमी को प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व, हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था, किसी सम्पत्ति के कब्जे से हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

200 विक्रय मूल्य का विनियोग- जहां धारा 194 के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गयी हो, वहां विक्रय का मूल्य निम्नलिखित क्रम में **उपयोग** किया जायेगा:-

(क) प्रक्रिया की लागत और **संग्रह प्रभारों**, यदि कोई हो को पूरा करने के लिए;

(ख) बकाया, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, का भुगतान करने के लिए;

(ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जायेगा।

201 अप्राधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली-कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी अन्य सम्पत्ति का, उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जायेगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।

202 वाद का वर्जन-धारा 203 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भू-राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

203 वाद के पूर्व भुगतान- जब कभी भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाय तो यह दावा की गयी धनराशि का वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही रोक दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू की गयी थी, इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर **वाद दायर कर सकता है।**

204 अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है- इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के मद्दे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा **इस निमित्त** प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई भुगतान विधिमान्य परिशोध न होगा।

205 अध्याय का लागू होना- इस अध्याय के उपबन्ध भू-राजस्व के सभी बकाये और इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात देय हुई भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनराशि पर लागू होंगे।

अध्याय—तेरह

राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया

206 सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त है, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, **प्रार्थना पत्र या कार्यवाही** पर विचार नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीनः—

(क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; और

(ख) तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 3** में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, **प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही** पर विचार नहीं करेगा।

(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2)(ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, **प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही** के सम्बन्ध में अधिकारिता थी या नहीं थी, तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी आपत्ति, प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिन्दुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिन्दुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व, न की गयी हो और जब तक कि न्याय परिणामिक रूप से असफल न हुआ हो।

207 प्रथम अपील—(1) तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, **प्रार्थना पत्र या कार्यवाही** में पारित किसी अंतिम **आदेश या डिक्री** से व्यथित कोई व्यक्ति **स्तम्भ 4** में **विनिर्दिष्ट न्यायालय** या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस अनुसूची के **स्तम्भ 3** के समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो।

(2) निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगीः—

(क) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 में, या

(ख) उक्त संहिता की धारा 104 में, या

(ग) उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43, नियम 1 में।

(3) इस धारा के अधीन **प्रथम अपील दाखिल किये जाने के लिए परिसीमा की अवधि, अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से तीस दिन** होगी।

208 द्वितीय अपील—(1) जहां तृतीय अनुसूची के **स्तम्भ 2** में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसा पक्षकार **स्तम्भ 5** के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है।

(3) इस धारा के अधीन दाखिल किए जाने के लिए द्वितीय अपील की **परिसीमा की अवधि** ऐसे आदेश या डिक्री, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, के दिनांक से **90 दिन** होगी।

209 कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन— धारा 207 और 208 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी जो:—

(क) इस संहिता के **अध्याय ग्यारह** के अधीन किया गया:

(ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन विलम्ब की माफी के लिए किसी प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना:

(ग) **पुनरीक्षण** के लिए किसी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना:

(घ) रोक के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना:

(ङ) किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित करना:

(च) जहां ऐसा **आदेश या डिक्री** अंतरिम प्रकृति का है:

(छ) पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित: या

(ज) जहां ऐसा आदेश एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित किया गया है:

परन्तु यह कि एकपक्षीय या व्यतिक्रम में पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के अन्दर उस आदेश को अपास्त कराने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है:

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है, उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए, पहले समन किये बिना उलटा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

210 अभिलेख मंगाने की शक्ति—(1) परिषद् या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का, जिसमें कोई अपील नहीं हुयी, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, अभिलेख मंगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने:—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधित: किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है, तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना पत्र को उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – शंका के निवारण के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को, उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से या इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक से जो भी बाद में हो, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा।

211 परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति—(1) परिषद स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना-पत्र पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और इस सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) निम्नलिखित आधारों के सिवाय, किसी आदेश का उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जायेगा:—

(क) किसी नयी और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज;

(ख) अभिलेखों को देखने से ही प्रकट कोई गलती या त्रुटि;

(ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

(3) पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है।

212 मामले को अंतरित करने की शक्ति—(1) जहां परिषद को यह प्रतीत हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन होगा, वहां वह किसी मामले को एक राजस्व अधिकारी से समान या उच्चतर श्रेणी के उसी ज़िले या किसी अन्य ज़िले के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित करने का निर्देश दे सकता है।

(2) आयुक्त या कलेक्टर या उप ज़िलाधिकारी इस संहिता के उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी पत्रावली में से निर्णय के लिए अपने से अधीनस्थ और ऐसा मामला या ऐसे मामलों के वर्ग को निर्णय करने में सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के हवाले कर सकता है या किसी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे राजस्व अधिकारी से वापस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को स्वयं निपटा सकता है या इसे किसी अन्य राजस्व

अधिकारी को, जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निर्णय करने में सक्षम हो, निस्तारण के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।

- 213 राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगी**— इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनके विरुद्ध इस संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जायेगा।
- 214 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का लागू होना**— जब तक इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो तब तक इस संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना—पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध लागू होंगे।
- 215 प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे**— किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो।
- 216 नोटिस को तामील कराना**— इस संहिता के अधीन तामील कराये जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी रीति से तामील कराया जा सकता है:—
- (क) ऐसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराया जाना है, या
- (ख) उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या
- (ग) किसी निगमित कम्पनी या निकाय के मामले में, उसी कम्पनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को सम्बोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर, या
- (घ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में सम्मन की तामील के लिए दी गयी किसी अन्य रीति से।
- 217 राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी**— इस संहिता के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद या किसी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जिसमें इस संहिता का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों या किसी नियम या तदधीन बनायी गयी या जारी की गयी अधिसूचना की विधिमान्यता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।

अध्याय—चौदह

प्रकीर्ण

- 218** **संहिता के उपबन्धों से छूट देने की शक्ति**— राज्य सरकार अपने द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व में रखे गए किसी भूमि को इस संहिता के सभी या किसी उपबन्ध के लागू होने से अधिसूचना द्वारा छूट प्रदान कर सकती है और इसी प्रकार किसी अधिसूचना को रद्द या उपान्तरित कर सकती है।
- 219** **प्रत्यायोजन**—राज्य सरकार परिषद को या अपने अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को नियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न इस संहिता के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को, अधिसूचना द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकती है जिनका प्रयोग ऐसी निबन्धनों और शर्तों, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, के अधीन किया जायेगा।
- 220** **भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति**— इस संहिता के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी, ऐसी निबन्धनों और शर्तों, जैसी विहित की जाय, के अधीन रहते हुए ऐसे लोक सेवकों के साथ जिन्हें इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, किसी भी समय किसी भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है।
- 221** **निरीक्षण करने और प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार**— इस संहिता या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार किए गए या रखे गए सभी दस्तावेज, विवरण अभिलेख और रजिस्टर ऐसे समय और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस के भुगतान जैसी विहित की जाय, पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और कोई भी व्यक्ति विहित फीस का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेज, विवरण, अभिलेख या रजिस्टर की या ऐसे दस्तावेज के किसी भाग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 222** **कतिपय जिलों में क्षेत्रों की संगणना**— इस संहिता के किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियत क्षेत्र की संगणना करने के प्रयोजन से निम्नलिखित क्षेत्रों में डेढ़ हेक्टेयर भूमि की गणना एक हेक्टेयर के रूप में की जायेगी:—
- (क) झाँसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल;
- (ख) इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा जिलों का जमुनापार हिस्सा;
- (ग) जिला सोनभद्र;
- (घ) जिला मिर्जापुर में तहसील सदर का टप्पा उपरोध और टप्पा चौरासी (बलाये पहाड़); और
- (ङ) मिर्जापुर जिला के तहसील चुनार के परगना सकटेशगढ़ और परगना अहरौरा और भगवत तथा तहसील मड़िहान का परगना भगवत के पहाड़ी पट्टी में चौथी अनुसूची में उल्लिखित गांव।
- 223** **जुर्माना आदि की वसूली की रीति**— इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय या उनके द्वारा वसूली योग्य किसी फीस, जुर्माना, लागत, व्यय, शास्ति या मुआवजा, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानों वह भू-राजस्व का बकाया हो।
- 224** **विवरण मंगाने की शक्ति**—(1) जहां कोई राजस्व अधिकारी इस संहिता के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए

यह आवश्यक समझे वहां वह किसी भू-धृति धारक या किसी भूमि पर काबिज किसी व्यक्ति से, ऐसे समय के भीतर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, उसके द्वारा और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित या कब्जे में रखी गयी भूमि में उसके हित की प्रकृति और विस्तार से युक्त विवरण मांग सकता है।

(2) भू-खातेदार या उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति का, जो ऐसी भूमि में, हित रखता हो, जिसके अन्तर्गत हित की प्रकृति और विस्तार भी शामिल है, नाम और पता प्रकट करने के लिए भी कहा जा सकता है।

225 **सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण**—(1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस संहिता या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा यदि वह कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया है और इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्य के निष्पादन या कृत्यों के निर्वहन के समय किया गया है।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के फलस्वरूप हुयी या होने वाली किसी नुकसानी या उठायी गयी या उठायी जाने वाली किसी क्षति के लिए या इस संहिता के उपबन्धों या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किए गये या किए जाने वाले किसी कार्य के लिए कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

225—क **संक्षिप्त कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण**—इस संहिता के अन्य प्रावधानों में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी इस संहिता के अधीन किसी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए उद्भूत सभी प्रश्नों को शपथ-पत्रों पर, विहित रीति से तय किया जायेगा।

परन्तु यह कि यदि राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी, जिसने शपथ पत्र दाखिल किया है, की प्रतिपरीक्षा आवश्यक है, वहां वह ऐसी प्रतिपरीक्षा के लिए उस साक्षी को पेश करने हेतु निदेश दे सकेगा।

225—ख **कैवियट दाखिल करना**—(1) जहां इस संहिता के अन्तर्गत किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में किसी प्रार्थना पत्र के दिये जाने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर आक्षेप करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो वैयक्तिक रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके सम्बन्ध में, उस व्यक्ति पर, जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने की आशा है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कैवियट की प्रति तामील करने के बाद न्यायालय में कैवियट दाखिल कर सकता है।

(2) जहां पर कोई कैवियट दाखिल किया गया है और उसकी नोटिस तामील कर दी गयी है, वहां पर आवेदक, न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय, इस बात का प्रमाण देगा कि उस दिनांक, जिस पर प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है, की लिखित पूर्व सूचना कैवियेटर या उसके अधिवक्ता को दे दिया है।

(3) यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई कैवियट दाखिल की जाती है तो उसकी प्रविष्टि कैवियट के रजिस्टर में विहित रीति से की जायेगी।

225—ग **समिति का गठन**— (1) संहिता के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी

प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलेक्टर ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी समिति, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यथाओं के निवारण में विहित रीति से सहायता करने के लिए, गठित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में एक सभापति और चार अन्य सदस्य होंगे जो विहित रीति से नामित या पदनामित किये जायेंगे :

परन्तु यह कि ऐसी प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का एक सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होगा।

225—घ सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो परगने का प्रभारी न हो, की शक्तियां— सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो किसी ज़िले के परगने का प्रभारी नहीं है, परगने के प्रभारी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी को प्रदत्त सभी या कुछ शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों में कर सकता है, जिसे कलेक्टर समय-समय पर निपटारे के लिए उसके पास भेजे।

225—ङ सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी की शक्तियां— सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी ऐसे मामलों की जांच करने एवं उस पर आख्या देने के लिए प्राधिकृत हैं जो किसी ज़िले का कलेक्टर या परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर समय-समय पर जांच करने तथा उस पर प्रतिवेदन करने लिए उसके पास भेजे।

225—च मामलों का समेकन— (1) जहां निर्धारण के लिए सारतः समान प्रश्न से युक्त एवं समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक मामले भिन्न-भिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, वहां किसी पक्षकार द्वारा ऐसे न्यायालय को प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, जिसके अधीन सम्बन्धित न्यायालय हैं, एक ही न्यायालय में अन्तर्गत एवं समेकित किये जायेंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

(2) जहां दो या दो से अधिक वाद या कार्यवाहियां एक ही न्यायालय में विचाराधीन हैं, और वह न्यायालय इस राय का है कि न्याय के हित में समीचीन है तो वह आदेश द्वारा उनके संयुक्त परीक्षण का निदेश दे सकता है, जिस पर ऐसे सभी वाद और कार्यवाहियां सभी या किसी ऐसे वादों या कार्यवाहियों में साक्ष्य पर विनिश्चित की जा सकेंगी।

अध्याय—पन्द्रह
शास्तियाँ

226 अतिक्रमण आदि के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति जो,—

(क) गांव की किसी सार्वजनिक सड़क (चकरोड सहित), पथ या सामान्य भूमि का अतिक्रमण करता है या उसके उपयोग में बाधा डालता है, या

(ख) उप **ज़िलाधिकारी** द्वारा धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या

(ग) तहसीलदार द्वारा धारा 25 या धारा 26 के अधीन किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन करने में विफल रहता है, या

(घ) धारा 42 या धारा 48 के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने में विफल रहता है;

जुर्माना का दायी होगा जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में **एक हजार रुपये से कम नहीं होगा और दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा और किसी अन्य मामले में पाँच सौ रुपये से कम नहीं होगा और पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से यथा स्थिति उप **ज़िलाधिकारी** या तहसीलदार द्वारा अपेक्षा की जा सकती है कि वह **पन्द्रह हजार रुपये** से अनधिक ऐसी धनराशि, जिसे संबंधित अधिकारी ऐसे कार्य या विफलता की पुनरावृत्ति से प्रविरत रहने के लिये ठीक समझों का बन्धपत्र निष्पादित करें।

227 सीमा चिन्हों के नाश आदि के लिए नुकसानी—(1) यदि कोई व्यक्ति अध्याय—चार के अधीन या

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विधिपूर्वक परिनिर्मित किसी सीमा चिन्ह को जान बूझकर नष्ट करता है या क्षति पहुँचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो उसे तहसीलदार द्वारा **इस प्रकार नष्ट किये गये, क्षति पहुँचाये गये** या हटाये गये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिये **एक हजार रुपये** से अनधिक की ऐसी धनराशि जो तहसीलदार की राय में इसे पुनःस्थापित करने के व्यय को पूरा करने और इतला करने वाले को पुरस्कार देने, यदि कोई हो, के लिए आवश्यक हो, का भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नुकसानी की वसूली, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन ऐसे नाश क्षति या हटाने के संबंध में किये गये किसी अपराध के लिये अभियोजन से विवर्जित नहीं करेगी।

228 अविधिमान्य रूप से वृक्षों को काटने और हटाने के लिये शास्ति—(1) कोई व्यक्ति, जो किसी वृक्ष

या उसके किसी भाग को, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या **ग्राम पंचायत** की सम्पत्ति है, इसके लिये किसी प्राधिकार के बिना काटता है, हटाता है या अन्यथा **काम में लाता है**, इसके मूल्य का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा जो उससे किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त जिसका वह भूमि का अध्यासन करने के कारण या अन्यथा, इस संहिता के उपबन्धों के अधीन **भागी हो** सकता है और किसी ऐसी दण्डात्मक कार्यवाही के होते हुये भी जो इस प्रकार काटने, हटाने या उपयोग करने के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित की जा सकती है, वसूल किया जा सकेगा।

(2) कलेक्टर किसी भी समय उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृक्ष या उसके भाग के अधिहरण का निदेश दे सकता है।

229 अपेक्षित विवरण या सूचना आदि न प्रस्तुत करने पर शास्ति— प्रत्येक व्यक्ति जो:—

(क) इस संहिता के उपबन्धों के अधीन विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई विवरण या सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ख) कोई ऐसा विवरण या सूचना प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है और जिसे मिथ्या मानने का उसके पास कारण हो; या

(ग) कलेक्टर या किसी अन्य राजस्व अधिकारी या ग्राम पंचायत को किसी भूमि का कब्जा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्राप्त करने में बाधा डालता है; या

(घ) किसी अधिकारी या लोक सेवक को धारा 220 में विनिर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने में बाधा डालता है;

दोष सिद्ध होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय—सोलह निरसन और अपवाद

230 निरसन—(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन एतद्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अधिनियमन के निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(क) उत्तराखण्ड राज्य में ऐसे किसी अधिनियमन के लागू रहने पर;

(ख) किसी अधिनियमन के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी किसी बात पर; या

(ग) कोई अन्य अधिनियमन जिसमें ऐसा अधिनियमन उपयोजित, सम्मिलित या निर्दिष्ट किया गया हो; या

(घ) पहले से कुछ भी किए गए या सहन किए गए कार्य की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, हक या बाध्यता या दायित्व जिसमें विशेष रूप से सभी परिसम्पत्तियों को राज्य में निहित करना और इसमें सभी मध्यवर्तियों के सभी अधिकार, हक और हित को समाप्त करना सम्मिलित है; या इसके सम्बन्ध में कोई उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण का या से निर्मोचन या उन्मोचन, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग, या पहले से स्वीकृत कोई क्षतिपूर्ति या विगत में किए गए किसी कार्य या वस्तु का सबूत; या

(ङ.) विधि का कोई सिद्धान्त, नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन का रूप या माध्यम, प्रथा या प्रक्रिया या विद्यमान उपयोग, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति:

परन्तु किसी ऐसे अधिनियमन के अधीन किसी कृत, कार्य या कार्यवाही को जिसमें बनाया गया कोई नियम, नियम संग्रह, निर्धारण, नियुक्तियाँ एवं अन्तरण जारी की गयी अधिसूचनाएं, सम्मन, नोटिस, वारण्ट और उद्घोषणा, प्रदत्त शक्ति, दिया गया पट्टा, नियम सीमा चिन्ह, तैयार किया गया अधिकार अभिलेख और अन्य अभिलेख अर्जित अधिकार और उपगत दायित्व भी सम्मिलित है; जहाँ तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत न हो, इस संहिता के तदनुसूचित उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझा जायेगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि इस संहिता के अधीन कृत किसी कार्य या कार्यवाही से अधिक्रमित न हो जाय।

231 विचाराधीन कार्यवाहियों पर संहिता का लागू होना—(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा रूप से उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार या किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समस्त मामलों का, चाहे वे अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य रूप में हों, का विनिश्चय समुचित विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा, जो उन पर लागू होते, यदि यह संहिता पारित न हुयी होती।

(2) इस संहिता के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सिविल न्यायालय में विचाराधीन सभी मामलों का, जिस पर इस संहिता के अधीन अनन्य रूप से किसी राजस्व न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

232 कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से इस संहिता द्वारा निरसित अधिनियमनों के उपबन्धों से इस संहिता के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस संहिता के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों (चाहे वे उपान्तरों, परिवर्द्धनों या लोप के रूप में हों) के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रभावी होंगे:

परन्तु इस संहिता के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष पश्चात्, कोई ऐसा आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

233 नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित की भी व्यवस्था की जा सकती है:—

(एक) परिषद के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की अवधि और शर्तें;

(दो) परिषद के कार्य के वितरण का विनियमन और अपनी अधिकारिता के क्षेत्रीय मण्डलों को बनाना;

(तीन) राजस्व क्षेत्रों के परिवर्तन, समाप्ति या सृजन के लिए दिशा निर्देश;

(चार) सीमाओं के निर्धारण की प्रक्रिया, सीमा चिन्हों का विनिर्देश, निर्माण और अनुरक्षण, उनकी लागत का उद्ग्रहण और वसूली;

(चार-क) उपलब्ध आधुनिक तकनीक एवं अंकीकरण प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा सर्वे क्रिया और अभिलेख क्रिया जिसके अन्तर्गत आबादी का सीमांकन भी सम्मिलित है, के लिए प्रक्रिया;

(पांच) इस संहिता के अधीन नक्शों, दस्तावेजों, विवरणों, अभिलेखों और रजिस्ट्रों को तैयार करने

और अनुरक्षण की प्रक्रिया, उनके निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां या उद्धरण देने की प्रक्रिया;

(छः) उत्तराधिकार और अन्तरण के विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तहसीलदार को सूचना देने और ग्रामीण अभिलेखों जिसमें नामान्तरण और ग्रामीण अभिलेखों को ठीक करना भी है, की प्रक्रिया;

(सात) किसान बही को तैयार करने, उसकी आपूर्ति तथा उसके अनुरक्षण की प्रक्रिया और उससे सम्बन्धित मामले जिसमें उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीस भी है;

(आठ) सार्वजनिक सड़क, पथों या नहरों के किनारे वृक्षारोपण से संबंधित और आबादी और अनाध्यासित भूमि में वृक्षों से सम्बन्धित विवादों के अवधारणा की प्रक्रिया;

(नौ) राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की या उसमें निहित सम्पत्तियों के संरक्षण, परिरक्षण और निपटाने की प्रक्रिया जिसमें उसकी नुकसानी, दुर्विनियोग या सदोष दखल के लिए मुआवजा का अवधारणा भी है;

(दस) भू-राजस्व के निर्धारण के सिद्धान्त जिसमें इसका फेरफार, परिहार, निलम्बन और प्रभाजन भी है;

(ग्यारह) भू-राजस्व और अन्य सार्वजनिक धन के संग्रह की प्रक्रिया और उसकी विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन से सम्बन्धित मामले जिसमें लागत और संग्रहण प्रभार नियत करना भी शामिल है;

(बारह) लगान नियत करने और उसके संराशीकरण की प्रक्रिया जिसमें ऐसी परिस्थितियां भी शामिल है जिनमें लगान का बकाया बट्टे खाते में डाला जा सकता है;

(तेरह) किसी ग्राम पंचायत या किसी भूमि प्रबन्धक समिति से सम्बन्धित मुकदमें में विधि व्यवसायियों की नियुक्ति की प्रक्रिया और ऐसी नियुक्तियों की अवधि और शर्तें;

(चौदह) वादों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों के संचालन और अभियोजन से सम्बन्धित प्रक्रिया जिसमें इस संहिता के अधीन विभिन्न जांच करने की प्रक्रिया भी है;

(पन्द्रह) कलेक्टर द्वारा पट्टा देने, ऐसे पट्टा का निरस्तीकरण और राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली की प्रक्रिया;

(सोलह) ग्राम पंचायत को सौंपी गयी भूमि का आवंटन, आवंटी को कब्जा वापस दिलाना और ऐसे आवंटन के निरस्तीकरण से सम्बन्धित प्रक्रिया;

(सत्रह) इस संहिता के अधीन अधिकारिता वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(अठारह) ऐसी समय सीमा आरोपित करना जिसके भीतर इस संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कार्य किया जाना चाहिए;

(उन्नीस) इस संहिता के अधीन वादों, अपीलों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में दी जाने वाली फीस;

(बीस) किसी **ग्राम पंचायत** या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गयी नदियों, झीलों, पोखरों और तालाबों में मछलियां पकड़ने के लिए विनियमित करना;

(इक्कीस) चरागाह, श्मशान घाट या कब्रिस्तान और गांवों में पशुओं और चिड़ियों को **पकड़ने, शिकार करने या गोली मारने** को विनियमित करना;

(बाइस) इस संहिता के अधीन कोई अन्य विषय जिसमें **नियम बनाये जाने हों या बनाये जा सकते हों**।

(3) **किन्हीं निरसित अधिनियमनों के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व बनाए गए** और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त नियम और आदेश, जहां तक वे इसके उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार विखंडित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।

(4) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार के लिए यह विहित करना विधिपूर्ण होगा कि कोई व्यक्ति जो उसका उल्लंघन करे, ऐसे उल्लंघन से होने वाले अन्य परिणाम के अतिरिक्त **पचीस हजार रूपये** से अनधिक ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जिसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी आरोपित करना उचित समझे।

234 विनियमावली बनाने की शक्ति—(1) इस संहिता के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए, विनियमावली बना सकती है—

(क) इस संहिता के अधीन **वादों**, प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों के सम्बन्ध में **राजस्व न्यायालयों** और राजस्व अधिकारियों को शासित करने की **प्रक्रिया; और**

(ख) भू-अभिलेख और उससे सम्बन्धित मामलों के तैयार करने, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए दिशा निर्देश;

(ग) तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कर्तव्य विहित करने और उनकी तैनाती, स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति विनियमित करने के लिए;

(घ) याचिका लेखकों को अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो नियमावली द्वारा विहित किये जायें।

(2) उपधारा (1) के अनुसार बनाए गए सभी विनियमों में विधि का बल होगा।

(3) इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त, राजस्व न्यायालय मैनुअल, भू-अभिलेख मैनुअल, संग्रह मैनुअल और भू-राजस्व (सर्वे तथा अभिलेख संक्रिया) नियमावली, 1978, उस सीमा तक, जिस सीमा तक वे इस संहिता के उपबन्धों से असंगत नहीं हैं, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस धारा के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विखण्डित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित न कर दिये जायें।

प्रथम अनुसूची
(धारा 2 तथा 230 देखिए)
सूची-क
सामान्य उपयोग के अधिनियमन

क्रम संख्या	निरसित अधिनियमनों का नाम
1.	द यूनाइटेड प्रोविंसेस रेवेन्यू आफिसर्स रेग्यूलेशन, 1803
2.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन, 1823 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1823 का 6)
3.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स रेग्यूलेशन ऐक्ट, 1830 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1830 का 5)
4.	द बंगाल लैण्ड रेवेन्यू (सेलटलमेण्ट एण्ड डिप्टी कलक्टर्स) रेग्यूलेशन, 1833 (बंगाल रेग्यूलेशन, वर्ष 1833 का 9)
5.	द बंगाल इण्डिगो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 1836 (वर्ष 1836 का ऐक्ट संख्या 10)
6.	द बुन्देलखण्ड एलीनेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, 1903 (वर्ष 1903 का ऐक्ट संख्या 2)
7.	बनारस पारिवारिक भू-सम्पदा अधिनियम, 1904 (वर्ष 1904 का अधिनियम संख्या 3)
8.	उत्तर प्रदेश विलीन राज्य विधियों को लागू करने का अधिनियम, 1950 (वर्ष 1950 का अधिनियम संख्या 8)
9.	दुदधी राबर्ट्सगंज (जिला मिर्जापुर) कृषक ऋण उद्धार अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश का वर्ष 1951 का अधिनियम संख्या 32)
10.	संयुक्त प्रान्त लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901
11.	द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1911
12.	द परगना आफ कसवार राजा ऐक्ट, 1915
13.	द गोरखपुर गोरेट्स ऐक्ट, 1919
14.	संयुक्त प्राप्त राजस्व परिषद् अधिनियम, 1922
15.	संयुक्त प्रान्त एबेटमेन्ट आफ रेन्ट सूट्स ऐक्ट, 1938
16.	द यू0 पी0 हिन्दू वॉमेन्स राइट टू प्रापर्टी (एक्सटेंशन टू एग्रीकल्चरल लैण्ड्स) ऐक्ट, 1942
17.	संयुक्त प्रान्त का गांव आबादी ऐक्ट, 1947
18.	उत्तर प्रदेश काश्तकारी (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान ऐक्ट, 1949
19.	उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950
20.	रामपुर में बेदखली के वाद और व्यवहार रोकने का अधिनियम, 1951
21.	उत्तर प्रदेश लगान का नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) अधिनियम, 1952
22.	उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) अधिनियम, 1952
23.	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) अधिनियम, 1952
24.	रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, 1953
25.	उत्तर प्रदेश नगर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956
26.	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (निष्क्रान्त भूमि) अधिनियम, 1957
27.	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, 1958
28.	उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) अधिनियम, 1960

29.	उत्तर प्रदेश मालगुजारी तथा लगान पर आपतिक अधिभार अधिनियम, 1965
30.	उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, 1966
31.	उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970
32.	उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1972

सूची-ख

उत्तराखण्ड राज्य में अब समाविष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट रूप से सम्बन्धित अधिनियमन

क्रम संख्या	निरसित अधिनियमनों का नाम
1.	अल्मोड़ा आनरेरी असिस्टेन्ट कलक्टरस डिक्रीज एण्ड आर्डर्स वैलिडेटिंग ऐक्ट, 1938
2.	जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख अधिनियम, 1952
3.	कुमायूँ कृषि भूमि (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1954
4.	जौनसार बावर परगना (ज़िला देहरादून) राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958
5.	जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956
6.	कुमायूँ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960
7.	कुमायूँ तथा गढ़वाल जल (संग्रह, संचय तथा वितरण) अधिनियम, 1975

द्वितीय अनुसूची
(धारा 206(2)(क) देखिए)

सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषय

1.	सीमाओं के अभ्यंकन या सीमा चिह्नों को नियत करने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
2.	आबादी के अवधारण के लिए कलेक्टर द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर आक्षेप करने का कोई दावा।
3.	किसी राजस्व अभिलेख में कोई प्रविष्टि किए जाने या किसी ऐसी प्रविष्टि को निकालने, उपान्तरित या प्रतिस्थापित किए जाने का कोई दावा।
4.	भू-राजस्व या लगान के निर्धारण, माफी या निलंबन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
5.	राज्य सरकार द्वारा संग्रह या भू-राजस्व की वसूली के लिए ऐसी सरकार द्वारा किसी प्रक्रिया के प्रवर्तन या इस संहिता के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से सम्बन्धित या उससे उत्पन्न होने वाला कोई दावा।
6.	राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में इस संहिता के अधीन किसी सम्पत्ति किसी सम्पत्ति के निहित होने के विरुद्ध कोई दावा।
7.	इस संहिता के अधीन कोई जुर्माना, लगान, व्यय प्रभार, शारित या मुआवजा के उद्ग्रहण या अधिरोपण से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
8.	किसी भूमि से सदोष बेदखल या बेकब्जा किए गए किसी भूमिधर या असामी के पुनःस्थापन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
9.	इस संहिता के अधीन नियुक्त किसी राजस्व अधिकारी पर इस संहिता द्वारा अधिरोपित किसी कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए विवश करने का कोई दावा।
10.	अध्याय दो के अधीन राजस्व क्षेत्रों और लेखपाल सक्रिल के विभाजन, सृजन, समामेलन, समाप्ति या पुनःसमायोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
11.	धारा 64 या धारा 125 में उल्लिखित भूमि के आबंटन या ऐसे आबंटन को रद्द किए जाने से सम्बन्धित कोई प्रश्न।
12.	धारा 71 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए निदेश पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
13.	धारा 124 में उल्लिखित किसी भूमि और उसके भाग पर कब्जा दिए जाने या धारा 134 या धारा 201 के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल किए जाने पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
14.	अध्याय ग्यारह के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश की विधि मान्यता पर आक्षेप करने वाला कोई दावा।
15.	किसी भूमि पर कब्जा से सम्बन्धित कोई दावा।
16.	किसी भूमि के सम्बन्ध में सह-भू-धृतिधारक के अधिकारों को सिद्ध करने विषयक कोई दावा।

तृतीय अनुसूची
(धारा 206, 207 और 208 देखिए)

धारा	वाद आवेदन या कार्यवाहियों का विवरण	प्रारम्भिक अधिकारिता का न्यायालय या अधिकारी	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
24	सीमा और सीमा चिह्न	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	—
35	नामान्तरण वाद	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	शून्य
54, 56, 57	वृक्षों सम्बन्धी विवाद	कलेक्टर	आयुक्त	—
67	ग्राम पंचायत भूमि से अवैध कब्जे की बेदखली	सहायक कलेक्टर	कलेक्टर	—
82(2)(ग)	किसी संविदा या पट्टे के आधार पर किसी भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भूमिधर द्वारा बेदखली के लिए वाद	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
85(1)	अहस्तांतरणीय अधिकार रखने वाले किसी भूमिधर के विरुद्ध ग्राम पंचायत द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
85(2)	किसी असामी के विरुद्ध किसी भू-धारक द्वारा बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
96(2)	किसी निःशक्त सह-अंशधारी द्वारा विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
116	किसी जोत के विभाजन के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
131(1)	किसी असामी की बेदखली के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
131(4)	किसी असामी के विरुद्ध बकायों या लगान की वसूली के लिए वाद	तहसीलदार	कलेक्टर	शून्य
133	व्यादेश, प्रतिकर आदि के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
134	हक के बिना भूमि का अभियोग रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए वाद	उप जिलाधिकारी	आयुक्त	राजस्व परिषद्
137(1)	कब्जा, प्रतिकर या व्यादेश के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
139(1)	लगान को नियत करने हेतु आवेदन	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी	शून्य
141(1)	लगान के न्यूनीकरण के लिए आवेदन	उप जिलाधिकारी	कलेक्टर	शून्य
144	भूमिधर या असामी द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	आयुक्त	परिषद्
145	ग्राम पंचायत द्वारा घोषणा के लिए वाद	तदैव	तदैव	तदैव
151(1)	बेदखली या नुकसानों या दोनों के लिए किसी सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद	तदैव	तदैव	तदैव

टिप्पणी— धारा 82 (2) (ग) से धारा 131 (1), धारा 134, 137 (1) और धारा 139(1) से धारा 151(1) से सम्बन्धित प्रविष्टियों में वर्णित वादों की सुनवाई एवं विनिश्चय किसी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, (उप जिलाधिकारी से भिन्न) द्वारा भी, जिसे कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा

स्थानान्तरित किया जाएगा, की जाएगी।

चतुर्थ अनुसूची
धारा 222 देखिए

सूची "क"

परगना अहरौरा के ग्रामों की सूची

1.	अमडीह		11.	कुतलुपुर
2.	बघोर		12.	लोहरा
3.	बाघरी		13.	मद्धूपुर
4.	बंतारा		14.	मझुई
5.	बाट		15.	मुबारकपुर
6.	भवानीपुर		16.	मगनर हरैया
7.	धोतवा		17.	पवही
8.	धुराही		18.	सुकरट
9.	खमल्हरिया		19.	तकिया
10.	खान अरजमपुर			

"सूची-ख"

परगना भगवत के ग्रामों की सूची

1.	बन इमलिस		10.	निबिया
2.	जरगल महाल		11.	रामपुर बरहो
3.	सेमरा बरहो		12.	सोनबरसा
4.	खटखरिया		13.	बिसुमपुरा
5.	कोहराडीह		14.	खम्हरिया
6.	तालर		15.	पुरैनिया
7.	चित बिसराम		16.	निकरिका
8.	पडरवा		17.	धनसिरिया
9.	हिनौता		18.	गढ़वा